स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–20, अंक–10, आश्विन–कार्तिक 2069, अक्टूबर 2012

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा–4

पश्चिम के देशों का विकास का अपना एक मॉडल है। उसी प्रकार पूर्व के देशों का भी विकास का अपना मॉडल है। पूर्व के लोगों ने नई बातें स्वीकारने के लिए अपने मन के दरवाजे हरदम खुले रखे हैं, अच्छे विचारों का पूर्व ने हमेशा स्वागत किया है।

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण कथा

राष्ट्रीय सभा नागपुर /4

आन्दोलन

पारित प्रस्ताव 1, 2, 3 और 4 /6

सामयिकी

एफडीआई यानि फाँसी का फंदा
– बलवीर पुंज /12

कृषि

कृषि के नाम पर देश को बेचना
– देविन्दर शर्मा /15

पड़ताल

वालमार्ट आएगा, रोजी–रोटी खाएगा
– प्रेम शुक्ल /18

चिंतन : गांधी के चिंतन से किनारा
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /20

श्रद्धांजलि : राष्ट्रवाद के सुन्दर–दर्शन थे सुदर्शन जी
– प्रभात झा /22

बहिष्कार

भारत–चीन सीमा विवाद एवं
सीमा पर निरंतर दबाव की रणनीति
– डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा /24

विचार–विमर्श

सही फैसले की गलत व्याख्या
– अरुण जेटली /27

सवाल

क्या संवैधानिक संस्थाओं को सरकार के अनुकूल ही रिपोर्ट देनी चाहिए?
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /29

मुद्दा

अपनी जमीन का सवाल
– भरत डोगरा /33

जनता का फैसला /36

पाठकनामा/2 रपट/35

पाठकनामा

आम आदमी की समस्याओं का हो समाधान

केन्द्र में बैठी कांग्रेस सरकार आज अपनी मनमानी कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री ही आर्थिक सुधारों की रफ्तार बढ़ाने पर लगे हुए है और इस आर्थिक सुधारों की रफ्तार में अगर देश की नीलामी भी हो जाए तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। आज देश में सबसे पहले महंगाई को रोकना है जिसने देश के हर नागरिक को बैचेन कर दिया है। महंगाई आज चरम सीमा पर है लेकिन सरकार सब चीजों में सब्सिडी की कटौती करती जा रही है। आज देश में लाखों लोग गरीबी रेखा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर जगह निजीकरण का बोल–बाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और घर सब पर प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में हैं जिसकी वजह से आज शिक्षा काफी महंगी हो गई। शिक्षा में निजीकरण होने के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिला के लिए लम्बी लाइन लगी हुई है वही दूसरी तरह सरकारी स्कूल की हालत बिल्कुल खराब होती जा रही है। यही हाल स्वास्थ्य का भी है, भारी संख्या में प्राइवेट अस्पताल होने के कारण सरकारी अस्पतालों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। घर बनाने में जब से प्राइवेट बिल्डर आए हैं तब से घरों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 5 हजार से 30 हजार कमाने वाला मकान बनाने का सपना भी नहीं सोच सकता। सरकार को पहले लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। आज सरकार ने एफडीआई को लागू कर दिया है। क्या एफडीआई से देश का भला होगा? आज जरूरत है कि पहले देश में महंगाई, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए न कि आर्थिक सुधारों के नाम पर देश को बेचा जाए।

– भानु रावत, नोएडा

हिन्दी पखवाड़ा की बजाय हिन्दी कारोबारी भाषा बनें

हिंदी की दावेदारी, हिंदी की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर आजकल खूब बातें हो रही हैं। हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने की भी चर्चाएं भी होती रहती हैं। क्या कभी किसी ने सोचा जब हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है तो फिर हिन्दी पखवाड़ा क्यों? आज भी हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का सम्मान नहीं है कितनी शर्म की बात है। एक तरफ तो हम कहते है कि हम तरक्की कर रही है दूसरी तरफ हम अपनी ही राष्ट्रभाषा का गलाघोट रहे हैं। हर जगह राष्ट्रभाषा की जगह विदेशी भाषा का चलन हो रहा है। क्या हम यह ठीक कर रहे है? चीन भी अपनी राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल अपने कारोबार में भी करता है, जापान भी अपनी राष्ट्रभाषा में अपना कारोबार करता है। मुस्लिम देश भी अपनी ही भाषा में कारोबार और काम करते हैं साथ ही दुनिया के अधिकतर विकसित और विकासशील देश अपनी ही भाषा में कारोबार करते हैं। लेकिन एक हमारा ही देश है जो अपना कारोबार अंग्रेजी भाषा में करता है। हिन्दी पखवाड़ा मनाने की जगह हिन्दी कारोबारी भाषा बनें तभी भारत का कल्याण होगा अन्यथा एक दिन हम अपनी ही संस्कृति और अपनी ही पहचान खो देंगे।

– विजय शर्मा (अध्यापक), जनता फ्लैट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

केन्द्र सरकार ने देश को बेच दिया है। एफडीआई से छोटे दुकानदार भूखे मर जाएंगे। यह देश की इज्जत लूटने वाली सरकार है। अब यह सरकार नहीं चलेगी। देश को बेचना आर्थिक सुधार नहीं है।

– ममता बनर्जी

एफडीआई से रोजगार बढ़ेंगे साथ ही देश उन्नति करेगा। हमारे विरोधियों को देश की उन्नति नजर नहीं आती। वे बर्बादी और अंधकार की ही बातें करते हैं।

– सोनिया गांधी

सन 2000 से 2009 के बीच कोरिया, सिंगापुर, ताईवान, चीन, मलेशिया और हांगकांग में देखते–देखते मल्टीनेशनल ब्रांड खुदरा व्यापार को निगल गए। क्या भारत इस अजगर के जबड़े से बच पाएगा?

– प्रेम शुक्ल

केन्द्र सरकार विदेशी कंपनियों के एजेंट की भाषा बोल रहे हैं साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को नीलामी करने की तैयारी कर ली है। उन्हें 70 करोड़ किसान एवं 30 करोड़ छोटे कारोबारियों के हित नहीं दिख रहे हैं।

– रामदेव बाबा

भले ही मेरे और केजरीवाल के रास्ते अलग–अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है।

– अन्ना हजारे

प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहें, भ्रष्टाचार और धांधली को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मषीनरी का मनमाना इस्तेमाल करने से देष जरूर पतन की ओर जाएगा।

– मुरली मनोहर जोशी

वैश्वीकरण का अभिशाप : भ्रष्टाचार

राजनीति मे भ्रष्टाचार की चर्चा अब उबाऊ हो गई है। किसी नेता या मंत्री के नाम किसी घोटोले की खबर अब सनसनी पैदा नहीं करती। जनता पिछले दो साल से लगातार घोटाले दर घोटाले के खुलासे से यह मानने पर विवश हो रही है कि देश को लूटने वाले का कुछ नहीं हो सकता। एक तरह से यह मायूसीपूर्ण उदासीनता छा गई है। राजनीति और भ्रष्टाचार की इस युगलबंदी से निपटने के लिए कुछ लोग कुछ कवायदों में जुटे हैं, पर उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती से अधिक नहीं है। कुछ संजीदा लोग ईश्वर की तरफ देखने लगे हैं कि देश आखिर इस भ्रष्टतंत्र से कैसे निकलेगा। क्योंकि शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा बचा है जिसके नेताओं या मंत्रियों पर भ्रष्ट होने का दाग नहीं लगा हो। तो क्या यह व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी या इस व्यवस्था को बदलने का कोई यंत्र निकलेगा। हालांकि सत्ता का भ्रष्ट चरित्र आजादी के बाद गठित पहली सरकार के साथ ही उजागर हो गया था। पर अस्सी के दशक तक भ्रष्टाचार किसी व्यक्तिगत मंत्री या अधिकारी की धृष्टता या गलती के तौर पर सामने आती थी। राजनीतिक नेतृत्व या सत्ता के शीर्ष लोगों के सामने जब भ्रष्ट मंत्री या पदाधिकारी का प्रकरण सामने आता था, तो नैतिकता की दुहाई दी जाती थी और मंत्री या अधिकारी को दंडित किया जाता था। कांग्रेस के ही कई ऐसे मंत्रियों को तब इस्तीफा देना पड़ा था, जब उनके द्वारा किए गए घोटाले या गड़बड़ियां सार्वजनिक तौर पर उजागर हुई थी। लेकिन अब राजनीति से नैतिकता ऐसे गायब हो चुकी है, जैसे गरम पानी से भाँप। अब तो पार्टियों के शीर्ष नेताओं पर ही भ्रष्टाचारियों के पोषण और संरक्षण के आरोप लगने लगे हैं। नैतिकता की बात तो दूर आरोप लगाने वालों को ही निशाने पर लेने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने से भी सत्ता पक्ष नहीं चूक रहा। एक परिवार पर आई आंच पर पानी डालने के लिए पूरा दल और सरकारी अमला हमलावर हो जा रहा है। आखिर राजनीति या सत्ता का चरित्र ऐसा क्यों बदल गया। क्या इसके लिए वैश्वीकरण और उदारीकरण तो जिम्मेदार नहीं। गंभीरता से देखें तो भ्रष्टाचार के लिए काफी हद तक वैश्वीकरण और उदारीकरण ही जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया में सामान से लेकर पैसे तक को एक देश से दूसरे देश में लाने ले जाने की छूट ने भ्रष्टाचार के नए–नए तरीके इजाद करवा दिए हैं। एक दो नहीं दस बीस उदाहरण ऐस सामने आए हैं, जिसमें यह बात साबित हुई है कि देश का पैसा लूट कर हमारे नेताओं और अधिकारियों ने विदेशों में आसानी से ठिकाने लगा दिए हैं। किसी ने विदेशों में होटल खरीद लिए हैं तो किसी ने खदान। किसी ने अरबों रुपये विदेशी बैंकों में जमा करा दिए हैं तो किसी ने बड़े पैमाने पर प्रोपर्टी खरीद ली है। वैश्वीकरण का कमाल देखिए कि भारत से लूट का पैसा ले जाने वालों की न तो विदेशी सरकारें कोई जांच करती हैं न उसकी सूचना भारत सरकार के पास पहुंचाती हैं। एक तरफ पूरी दुनिया को एक गाँव मान कर सब कुछ खोल देने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ यह कह कर सूचनाएं देने से साफ मना कर दिया जाता है कि भारत के साथ इस तरह की कोई संधि नहीं है कि भारतीय निवेशकों के बारे में कोई जानकारी दी जा सके। जब काले धन के बारे में संसद में सवाल उठाया गया तो तब के वित्तमंत्री अब के महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि कई देशों से सूचनाओं के बारे संधि नहीं होने के कारण हम यह नहीं बता सकते कि कितनों भारतीयों का कितना पैसा विदेशी बैंकों में जमा है। अगर भ्रष्टाचारियों को इस तरह की सुरक्षा मिलें तो उस पर कौन नकेल डाले। यही बात उदारीकरण के साथ भी है। जब से निजी क्षेत्रों की भागीदारी सरकार के साथ बढ़ी है, तब से कॉरपोरेट घरानों के लिए राजनीति में आरक्षण जैसी व्यवस्था बनने लगी है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में बड़े औद्योगिक घरानों की पैठ बढ़ गई है। पहले राज्य सभा में भेजने तक की हिमाकत होती थी, अब तो कॉरपोरेट संस्कृति के लोग मंत्री पद भी आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों के बारे मे सूचना ली जाए तो लगभग हर पार्टी की सरकार में ऐसे मंत्री मिल जाएंगे जिनके राजनीति में कम व्यापार में रुतबे बड़े हैं। और हाल के घोटाले की फेहरिस्त देखिए ये कॉरपोरेट मंत्री उसमें शामिल नजर आएंगे। चाहे कोयला घोटाला हो या फिर खनन घोटाला। राजनीति जैसे कॉरपोरेट की बांदी हो। क्या समय नहीं आ गया है कि इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाए कि राजनीति और व्यापार के घालमेल को रोकने का ठोस उपाय किया जाए।

राष्ट्रीय सभा, नागपुर

5–6–7 अक्टूबर 2012

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा, रेशिमबाग, नागपुर में 5 अक्टूबर 2012 को प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय भैया जी जोशी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर प्रारंभ हुई। उद्घाटन सत्र में माननीय भैया जोशी जी ने कहा – विकास करते समय जीवनमूल्य और नैतिक मूल्य सुरक्षित नहीं रहेंगे तो विकास अमानवी रूप धारण कर सकता है यह बात ध्यान में रखते हुए कि वैश्विक चिंतन के समक्ष, समग्रता से विचार करने वाला मार्गदर्शक भारतीय चिंतन प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी स्वदेशी जागरण मंच को स्वीकारनी चाहिए।

प्राचीन परंपराओं के गौरव को ध्यान में रखकर हम नए युग का नया गीत गाएंगे, इन शब्दों में, माननीय भैयाजी ने स्वदेशी के तत्त्वज्ञान का सूत्र स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम के देशों का विकास का अपना एक मॉडल है। उसी प्रकार पूर्व के देशों का भी विकास का अपना मॉडल है। पूर्व के लोगों ने नई बातें स्वीकारने के लिए अपने मन के दरवाजे हरदम खुले रखे हैं, अच्छे विचारों का पूर्व ने हमेशा स्वागत किया है। यह, यहां की परंपरा ही है। यह सकारात्मक चिंतन ही हमें दुनिया के सामने विश्वकल्याण का दर्शन प्रस्तुत करने के लिए शक्ति देता है। वृद्धि (ग्रोथ) और प्रगति (प्रोग्रेस) इन शब्दों की अपेक्षा विकास (डेवलपमेन्ट) शब्द में समग्रता का भाव अधिक है, ऐसा प्रतिपादित करते हुए। उन्होंने कहा कि, भारत का चिंतन विकास का है।

विकसित, विकसनशील और पिछड़े

देशस्थिति का आकलन करने के लिए विकसित, विकसनशील और पिछड़े यह मापदंड अमान्य करते हुए उन्होंने कहा, यह मापदंड़ निश्चित करने वाले कौन है? यह उन्होंने तय किया और सारी दुनिया पर लादा. इन मापदंड़ों के अनुसार भौतिक साधन संपन्नता ही विकास या प्रगति, ऐसा माना गया है। लेकिन भारत का स्वदेशी चिंतन इसे पूरी तरह नहीं स्वीकारता. इस मापदंड़ के अनुसार जो विकसित है, क्या वे सही में संपन्न है और इन मापदंडों को प्रस्थापित करने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी, ऐसे प्रश्न स्वदेशी चिंतन उपस्थित करना चाहता है।

भारतीय चिंतन के अनुसार भौतिक साधनों से संपन्न ही विकसित होता है, ऐसा नहीं। संपन्न न होते हुए भी कोई व्यक्ति या देश विकसित रह सकता है, ऐसा हमारा चिंतन बताता है। विकास का आज का मॉडल प्रस्थापित करने के लिए दुनिया ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। विकास के इस मॉडल के कारण अमानवीय या राक्षसी मनोवृत्ति निर्माण हुई है। आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से चाहे जितना लिया जा सकता है, लेकिन हम, जितना ले सकते है उतना लेने लगे, इस कारण ही यह राक्षसी वृत्ति निर्माण हुई, कथित विकास के नाम पर हम यह राक्षसी, अमानवीय वृत्ति बढ़ा तो नहीं रहें।

'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'

भारतीय चिंतन को आज का लोकप्रिय 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' सूत्र मान्य नहीं, ऐसा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि, भारत को 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' यह सूत्र मान्य है। इसमें 'वसुंधरा परिवार हमारा' यह भावना है। संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में विकसित करने का प्रयास होना चाहिए। इस दृष्टि से भारतीय चिंतन दुनिया के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। गलत दिशा में जा रहें वैश्विक चिंतन के सामने एक मार्गदर्शक विचार के रूप में हमारा भारतीय चिंतन प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी 'स्व.जा.मं' की है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मूलभूत भारतीय चिंतन के आधार पर विकास की दिशा अपनाना आवश्यक था। लेकिन, गांधी जी के समग्र, चिरंतन (सस्टेनेबल) विकास का मार्ग छोड़कर भारत के विकास को अल्पकाली, अल्पलाभी विचारों की दिशा दी गयी और वह भी गांधी जी के अनुयायियों ने ही।

उन्होंने कहा कि प्राचीन परंपराओं का गौरव या स्वाभिमान कायम रखते समय, व्यवहार में, आचरण में उसका अहंकार तो नहीं आता इसका ध्यान रखना चाहिए। आज के संदर्भ में भारतीय चिंतन की ओर से अपेक्षा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि, भारतीय चिंतन करते समय युवा शक्ति पर के विश्वास को शक्ति प्रदान करना आवश्यक है और पश्चिम के चिंतन का विचार करते समय परावलंबिता छोड़नी चाहिए।

आज की परिस्थिति में कोई भी देश शत प्रतिशत स्वावलंबी नहीं हो सकता, ऐसा स्पष्ट मत व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि, आदान–प्रदान होते रहना चाहिए। देश के लिए आवश्यक विचार दूसरों से लेना चाहिए, लेकिन समाज का मान रखकर, उन विचारों को युगानुकूल कर दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए और हमने भी दुनिया को कुछ देना चाहिए। देश में मूलभूत ढ़ांचा मजबूत बनना चाहिए। शिक्षा, यातायात के साधन सुलभ होने चाहिए। ग्रामीण और वनवासी प्रतिभाएं खोजकर उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहिए। शोधकार्य देशहित के लिए ही होना चाहिए और युवा शक्ति पर दृढ विश्वास रखना चाहिए।

हमें पश्चिम से भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। सार्वजनिक जीवन में उनकी कर्तव्यबुद्धि और शुचिता का हमने अनुसरण करना चाहिए। नाटकीय पद्धति का आचरण प्रकट करने वाले शीर्ष नेतृत्व को दूर कर सर्वसामान्य से नेतृत्व विकसित करना चाहिए। ऐसी अपेक्षा व्यक्त कर माननीय भैयाजी ने कहा कि, सर्वसामान्य लोग नई राहें नहीं निर्माण करते। प्रचलित मार्ग पर ही चलने का प्रयास करते है। स्वदेशी जागरण मंच ऐसा योग्य मार्ग निर्माण करने का पुरुषार्थ करने के लिए पहल करे, ऐसा आवाहन उन्होंने किया।

मंच के राष्ट्रीय संयोजक अरुण जी ओझा ने वर्ष का कार्यवृत्तांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि, आधुनिकीकरण की स्पर्धा के कारण परंपराओं से दूर जाने का खतरा निर्माण हुआ है। बीस वर्ष पूर्व अपनाए आर्थिक सुधारों की नीति का चक्र पूर्ण हुआ है और हम फिर पहले के ही स्थान पर आ पहुँचे हैं। अब भारतीय विचारकों ने राजनीति और अर्थकारण का विकल्प खोजने में विलंब नहीं करना चाहिए :–

(1) वैचारिक समझ, समग्र दृष्टि और एक नए उदीयमान भारत का चित्र,
(2) नीचे के स्तर पर आम जनता के बीच ठोस जनाधार और संगठन,
(3) 'संघर्ष और निर्माण' दोनों का व्यापक अनुभव और माद्दा तथा
(4) धीरज और लंबी लढ़ाई की तैयारी।

इन आधारों पर यह विकल्प खोजा जाना चाहिए।

इस सभा के स्वागताध्यक्ष प्रभाकरराव मुंडले, स्वागत समिति सचिव अनुप सगदेव, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक अरुण जी ओझा, सहसंयोजक सरोजदा मित्र, बी. एम. कुमारस्वामी, राष्ट्रीय संगठक कश्मीरीलाल जी और राष्ट्रीय विचार मंडल प्रमुख डॉ. अश्विनी महाजन मंच पर उपस्थित थे।

स्वागताध्यक्ष प्रभाकरराव मुंडले ने देश में से आए करीब 600 सौ प्रतिनिधियों का स्वागत किया। देवी अहल्या मंदिर छात्रावास में की पूर्वोत्तर राज्यों में की बालिकाओं ने स्वदेशी पर पथनाटय और समूह गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन स्वदेशी जागरण मंच के नागपुर महानगर संयोजक आशुतोष पाठक ने तथा अतिथियों का स्वागत और आभार प्रदर्शन स्वजामं महाराष्ट्र प्रान्त संयोजक अजय पत्की ने किया।

कार्यक्रम में राष्ट्र सेविका समिति की भूतपूर्व प्रमुख संचालिका प्रमिलाताई मेढे, मंच के भूतपूर्व संयोजक और भाजपा के वर्तमान महासचिव मुरलीधर राव, भूतपूर्व सहसंयोजक प्रा. योगानंद काले, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष वसंतराव पिंपलापुरे, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय मंत्री शशिभूषण वैद्य, विद्याभारती के सतीशचन्द्र मिश्र, अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री सुरेन्द्र नाईक, स्वजामं विचार मंडल प्रमुख डॉ. महेशचन्द्र शर्मा उपस्थित रहे।

मुंबई आईआईटी के विद्यार्थीयों के समक्ष स्वजामं के राष्ट्रीय सहसंयोजक एस. गुरुमूर्ति ने 'इंडियन बिजनेस मॉडेल' विषय पर दिए भाषण की ध्वनिफित का इस कार्यक्रम में माननीय भैयाजी के हाथों विमोचन किया गया।

तीन दिन तक चली इस राष्ट्रीय सभा में देशभर से विविध प्रांतों का प्रतिनिधित्व हुआ। सभी प्रांतों द्वारा वर्ष भर हुई गतिविधियों का प्रभावी वृत्त राष्ट्रीय सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसके अतिरिक्त खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के विरोध में प्रभावी आन्दोलन, दिल्ली में आयोजित किसान जमावड़ा और देशभर में आयोजित किसान पंचायतों, सम्मेलनों इत्यादि का भी वृत्त प्रतिनिधियों के समक्ष आया। राष्ट्रीय सभा में (1) खुदरा में विदेशी निवेशः आपदाओं को न्योता, (2) पीपीपी के नाम पर संसाधनों की लूट बंद हो, (3) कृषि बचाओ : देश बचाओ, (4) पेंशन और बीमा सुधारों के नाम पर सरकार की कुत्सित योजना – विषयों पर चार प्रस्ताव पारित किए गए।

डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा द्वारा वर्तमान आर्थिक परिदृश्य पर उद्‌बोधन किया गया। प्रो. योगानन्द काले जी ने 'अमेरिका नए विकास मॉडल की खोज में' विषय पर अपना भाषण दिया। श्री कश्मीरी लाल जी ने जन–स्वास्थ्य के संबंध में उभरते मुद्दे विषय पर उद्‌बोधन किया। राष्ट्रीय सभा में विभिन्न सत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागियों का मन मोह लिया।

स्वदेशी जागरण मंच की ग्यारहवीं राष्ट्रीय सभा, नागपुर में 5–6–7 अक्टूबर, 2012 को आयोजित हुई। राष्ट्रीय सभा में चार प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्ताव को हम पाठकगण और कार्यकर्ताओं के लिए यहां प्रस्तुत कर रहे हैं . . सम्पादक

पारित प्रस्ताव – 1

खुदरा में विदेशी निवेश : आपदाओं को न्योता

भारत में कृषि के बाद खुदरा व्यापार सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। जी.डी.पी. में खुदरा की 14 प्रतिशत भागीदारी है। चार करोड़ परिवारों की इस व्यवसाय से रोजी रोटी चलती है। एक परिवार में अगर पांच सदस्य मान लें तो 20 करोड़ लोगों का जीवन–यापन खुदरा व्यापार से ही होता है। इनमें से 65 प्रतिशत खुदरा दुकानें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरो में है और इन्हीं दुकानों पर एफ.डी. आई. का सबसे पहला हमला होने वाला है. . .

केन्द्र सरकार ने सितंबर 2012 में सहयोगी दलों ओर विपक्ष को विश्वास मे लिए बगैर आनन–फानन में खुदरा में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति दे दी जबकि इससे पूर्व वर्ष 2011 में तत्कालीन वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने संसद को भरोसा दिलाया था कि जब तक आम सहमति नहीं बन जाती तब तक सरकार खुदरा में विदेशी निवेश पर कोई फैसला नहीं लेगी।

इस विषय पर संसद में सहयोगी दलों और विपक्ष तथा देश भर में सामाजिक, व्यापारी संगठनों और राजनैतिक दलों के जोरदार विरोध के बाद सरकार देश भर के अखबारों मे विज्ञापन देकर झूठे तर्क दे रही है कि खुदरा में विदेशी निवेश से छोटे खुदरा व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे करोड़ो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और किसान और उपभोक्ताओं को फायदा होगा। दुनिया में आज ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि विशालकाय खुदरा स्टोरों के खुलने से बेरोजगारों को रोजगार मिला हो और छोटे व्यापारियों और किसानों को लाभ हुआ हो।

अमेरिका जहां वॉलमार्ट की उत्पत्ति हुई वहां सन् 1951 में 16 लाख खुदरा व्यापारी थे, लेकिन 2011 में सिर्फ 11 लाख खुदरा व्यापारी रह गए। 60 साल में 5 लाख खुदरा व्यापारी व्यवसाय से बाहर हो गए। सन् 1979 में अमेरिका में 195 लाख लोग मैन्यूफैक्चरिंग के व्यवसाय में थे किन्तु सन् 2011 में सिर्फ 118 लाख लोग इस व्यवसाय मे रह गए। इस आंकडे से जाहिर है कि 32 वर्षों में इस व्यवसाय से जुडे 77 लाख लोग बेरोजगार हो गए ओर हर महीने 20,000 लोग बेरोजगारी की चपेट में आए।

स्वीडन में तीन कंपनियों का 86 प्रतिशत खुदरा व्यवसाय पर कब्जा है। अमेरिका में सिर्फ तीन कंपनिया 63 प्रतिशत खुदरा व्यवसाय करती है। थाईलैंड में बड़े रिटेल स्टोर आने से पिछले 60 वर्षों में 30 प्रतिशत खुदरा व्यापारी बेरोजगार हो गए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बड़ी कंपनियों के एकाधिकार से आज दुनिया भर के खुदरा व्यापारी बेहाल हैं। भारत में कृषि के बाद खुदरा व्यापार सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। जी.डी.पी. में खुदरा की 14 प्रतिशत भागीदारी है। चार करोड़ परिवारों की इस व्यवसाय से रोजी रोटी चलती है। एक परिवार में अगर पांच सदस्य मान लें तो 20 करोड़ लोगों का जीवन–यापन खुदरा व्यापार से ही होता है। इनमें से 65 प्रतिशत खुदरा दुकानें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरो में है और इन्हीं दुकानों पर एफ.डी.आई. का सबसे पहला हमला होने वाला है।

वालमार्ट जो दुनिया की सबसे बडी खुदरा कंपनी है, का दुनिया में खुदरा व्यापार 422 अरब डॉलर का है, जो भारत के कुल खुदरा व्यापार से भी अधिक है, और यह कंपनी मात्र 21 लाख लोगों को रोजगार देती है, जो भारत में खुदरा रोजगार का मात्र 5 प्रतिशत ही है। आने वाले कुछ वर्षों में ही यह खुदरा व्यापारी ही बेरोजगार नही होंगे बल्कि व्यापारी और आम लोगो के बीच में जो सदियों पुराने सामाजिक संबंध है, वे भी समाप्त हो जाएंगे। और इसके साथ ही छोटे ट्रक ऑपरेटर, थोक व्यापारी और मजदूर भी इसकी मार से नही बच पाएंगे।

वैश्वीकरण के इन 20 वर्षों में बेरोजगारी तेजी मे बढ़ी है। सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल होने के बाद अब रोजगार सृजन और खेती–किसानी की हालत में सुधार का ठेका भी वालमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों को दे रही है। सरकार

का तर्क है कि हमारे देश में भंडारण और विपणन की व्यवस्था न होने के कारण बड़े पैमाने पर फल और सब्जियां सड़ जाती है। वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां आने के बाद कोल्ड स्टोरों की श्रृंखला खड़ी होगी और आपूर्ति सिस्टम भी सुधरेगा, लेकिन सरकार के यह तर्क एकदम बेदम है।

स्वदेशी जागरण मंच याद दिलाना चाहता है कि, कई वर्ष पूर्व भंडारण एवं कोल्ड स्टोरेज में विदेशी निवेश खोल दिया गया था लेकिन इस क्षेत्र में कोई विदेशी निवेश प्राप्त नहीं हुआ। खाद्य पदार्थों की बर्बादी के सरकारी एजेंसियों के आंकड़े भी इस मामले मे भ्रमपूर्ण है। कुछ सरकारी एजेंसी यह आंकड़ा 25 प्रतिशत तक तो कुछ इसे 20 प्रतिशत बताती है, जबकि योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि देश में 5 से 6 प्रतिशत फल और सब्जियां भण्डार और विपणन की व्यवस्था न होने के कारण खराब हो जाती है।

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का सरकार का फैसला दूरगामी दुष्परिणाम देने वाला होगा। यह फैसला न सिर्फ रोजगार छीनेगा बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर देगा। यही नहीं खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश न केवल व्यापारियों के लिए घातक है साथ ही किसानों को कहर ढहने वाला है। विदेशी कंपनीयों के खुदरा व्यापार मॉडल में निहित ठेका खेती के माध्यम से खेती कराने के कारण देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। यही नहीं चूंकि ये कंपनियां वैश्विक खरीद करती है, देश के लघु उद्योग भी इससे समाप्त हो जाऐंगे। डॉ. मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में गठित संसद की स्थायी समिति ने 5 जून 2009 को सौंपी अपनी रपट में स्पष्ट सिफारिष की थी, कि देशी–विदेशी कंपनियों के खुदरा में व्यापार पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। इस समिति ने खुदरा व्यापार के विकास के लिए यह सिफारिशें की थी –

(1) केन्द्र सरकार एक आयोग गठित करे जो खुदरा व्यापार का अध्ययन कर सुधारों के लिए सुझाव दें।
(2) राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाई जाए।
(3) खुदरा व्यापार में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए।
(4) राष्ट्रीय दुकानदारी अधिनियम बनें।
(5) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की तर्ज पर लघु एवं खुदरा व्यापारी विकास अधिनियम बनें।

स्वदेषी जागरण मंच की 11वीं राष्ट्रीय सभा यह मांग करती है कि, यूपीए सरकार छोटे व्यापारियों, मैन्युफैक्चर्स, ट्रक ऑपरेटर, मजदूरों तथा आम नागरिकों के हितों को ध्यान मे रखकर अविलंब खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला वापस लें। राष्ट्रीय सभा केन्द्र सरकार से यह भी मांग करती है कि –

(1) संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर अविलंब सिफारिशों को लागू करे।
(2) यह सभा सभी राजनितिक दलों से भी मांग करती है कि, एफडीआई के मुद्दे पर अपना रूख स्पष्ट करे।
(3) स्वदेशी जागरण मंच सभी संसद सदस्यों से भी यह मांग करता है कि, करोड़ों लोगों से जुड़े इस विषय पर दलगत भावना से उपर उठकर अपना मत स्पष्ट करें।
(4) स्वदेशी जागरण मंच मांग करता है कि सभी राज्य सरकारें और नगर निगम प्रशासन 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों में विदेशी किराणा स्टोर खोलने की अनुमति न दें। ❑

पारित प्रस्ताव – 2

पी.पी.पी. के नाम पर संसाधनों की लूट बंद हो

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस बारे में संदेह नहीं, लेकिन इसके कारण निजी कंपनियों को देश के संसाधन लूटने की छूट मिल जाए यह देश हित में नहीं है। पी.पी.पी. मॉडल के नाम पर निजी कंपनियों को सरकार सस्ते दामों पर जमीन अधिग्रहित कर उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सरकार इस संबंध में निवेश का एक बड़ा भाग भी उपलब्ध कराती है और निजी कंपनियों को एक निश्चित लाभ की गारंटी भी दी जा रही है।

पिछले कुछ समय से सरकार के पास संसाधनों की कमी के नाम पर संस्थागत सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाते हुए सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रकल्पों को वरीयता दी जा रही है। सड़क निर्माण, पुल निर्माण, एयरपोर्ट, सागरपत्तन, विद्युत उत्पादन और वितरण सहित कई प्रकार के क्षेत्रों मे पी.पी.पी मॉडल को अपनाया जा रहा है। इस मॉडल में कई प्रकार से निजी क्षेत्र को भागीदार बनाया जाता है।

कहीं इस मॉडल में निजी क्षेत्र को निर्माण करने से लेकर कुछ वर्ष तक संचालन करने का अधिकार दिया गया, तो कहीं उस प्रकल्प का स्वामित्व भी कंपनियों

को सौंप दिया जाता है। कई बार यह साझेदारी केवल प्रकल्प के निर्माण तक ही सीमित रहती है।

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस बारे में संदेह नहीं, लेकिन इसके कारण निजी कंपनियों को देश के संसाधन लूटने की छूट मिल जाए यह देश हित में नहीं है। पी.पी.पी. मॉडल के नाम पर निजी कंपनियों को सरकार सस्ते दामों पर जमीन अधिग्रहित कर उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सरकार इस संबंध में निवेष का एक बड़ा भाग भी उपलब्ध कराती है और निजी कंपनियों को एक निश्चित लाभ की गारंटी भी दी जा रही है। पीपीपी मॉडल अपनाने के संबंध में सरकार का तर्क है कि सरकार द्वारा निर्मित और संचालित ढांचागत रचनाएं अक्षम होती है और उन पर लागत भी अधिक आती है। इसलिए सरकार का मानना हे कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से ढांचागत क्षेत्र में संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु पीपीपी मॉडल अपनाना देश हित में है।

लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है। पीपीपी मॉडल के नाम पर एक नई जमींदारी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। जिस प्रकार आजादी से पूर्व अंग्रेज सरकार ने निजी लोगों को जमींदार बनाकर शोषणकारी शासन करने और लाभ कमाने का असीमित अधिकार दे दिया था, उसी प्रकार से हमारी आज की सरकार कार्य कुशलता के नाम पर निजी कंपनियों को लाभकारी प्रकल्प बांट रही है। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है।

हाल ही में जिस प्रकार दिल्ली एयरपोर्ट के मामले में एक निजी कंपनी को अनुचित रूप से लाभ कमाने का मौका दिया गया, यमुना एक्सप्रेस वे के नाम पर हजारो एकड़ भूमि अत्यंत कम कीमत पर निजी हाथों में सौंप दी गई। गौरतलब है कि यमुना एक्सप्रेस वे बनानेवाली कंपनी ने आवंटित भूमि में से मात्र 5 प्रतिशत भूमि बेचकर 20 हजार करोड़ रूपए लाभ कमा लिया और दिल्ली एयरपोर्ट बनानेवाली कंपनी भी हजारों करोड़ रूपया कमा चुकी है और आगे भी कई दशकों तक उसके पास एयरपोर्ट टैक्स वसूली का अधिकार भी रहेगा। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देश के समक्ष है।

यही नहीं कायदे कानूनों को तोड मरोड़कर निजी प्रकल्पों को समस्त सरकारी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि, देश की सर्वोच्च अंकेक्षण संस्था 'कैग' को भी इन प्रकल्पों के कार्यकलापों के निरीक्षण एवम अंकेक्षण करने का अधिकार नही दिया गया। इसके चलते निजी कंपनियां मनमाने ढंग से टोल टैक्स, एयरपोर्ट टैक्स और अन्य टैरिफ वसूल रही हैं। देश के संसाधनों की लूट के साथ–साथ देश की भोली–भाली जनता का शोषण भी इससे हो रहा है।

एक ओर तो वर्तमान में सार्वजनिक–निजी साझेदारी मॉडल के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लूट तो चल ही रही है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस मॉडल को लागू करने का ठान चुकी है। देश में इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाए पहले से और अधिक महंगी और आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाएंगी।

स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा यह माँग करती है कि –

(1) किसी भी पी.पी.पी. परियोजना को आरंभ करने से पूर्व उसकी जरूरत, प्रकार और विस्तार के बारे में एक निष्पक्ष नियामक एजेंसी द्वारा अध्ययन और विश्लेषण कराया जाये। वर्तमान मे चल रहे पीपीपी मॉडल के समस्त प्रकल्पों की 'कैग' के द्वारा निष्पक्ष जाच एवं अंकेक्षण हो और दोषी कंपनियों से आम आदमी को राहत दी जाए। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए आवंटित भूमि के किसी अन्य प्रकार के उपयोग की अनुमति न हो।

(2) शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से हाथ खींचने के बजाय, शिक्षापर सरकार खर्च बढ़ाकर जी.डी.पी. का 8 प्रतिशत करे। इसी प्रकार स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जी.डी.पी. का कम से कम 6 प्रतिशत करने का प्रावधान हो। इसके अतिरिक्त निजी कारपोरेट क्षेत्र को कृषि, जल प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाये। ❑

पारित प्रस्ताव – 3

कृषि बचाओ : देश बचाओ

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सप्रंग सरकार खुदरा में विदेशी निवेश को अनुमति देने के साथ ही कृषि, किसान और गांव को अनदेखा कर रोजगार रहित विकास का मॉडल अपनाने पर आमादा है। आर्थिक सुधारों के इस दौर से पहले कृषि पर योजना राशि का लगभग 27 प्रतिशत खर्च होता था जो अब घट कर मात्र 5 प्रतिशत तक रह गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कृषि सरकार की प्राथमिकता से बाहर है। स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा

कृषि को नजरअंदाज करने की सरकार की इन नीतीयों पर गंभीर चिंता प्रकट करती है।

बीज अधिनियम, जैव विविधता कानून, बायोटेक्नॉलॉजी रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (BRAI) एक्ट, नई जल नीति, खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून, कृषि उपज विपणन कानून, मुक्त व्यापार समझौता (FTA) जैसे नये कानून बना कर कृषि के निगमीकरण का एक बडा षड़यन्त्र रचा जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित बडी कम्पनियों का कृषि पर वर्चस्व हो जाएगा। नई तकनीकि के नाम पर Genetic Modified (GM) फसलों को लाने का पुरजोर प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसके पर्यावरण, स्वास्थ्य और जैव विविधता पर खतरनाक परिणाम होंगे।

भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी देश के रोजगार का 56 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से ही आता है। आज जबकि देश की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से औसतन 8 प्रतिशत की गति से बढ रही है। वहीं कृषि की वृद्धि दर मात्र 2 प्रतिशत ही है। सरकार की नीतियों की फलस्वरूप कृषि और किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 15 वर्षों में देश में लगभग 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके है। शुरूआत में आत्महत्याओं का यह सिलसिला विदर्भ और आंध्र तक ही सीमित था परन्तु अब यह पंजाब जैसे प्रांतों तक भी पहुंच गया है। एक आंकडे के अनुसार पंजाब मे हर वर्ष औसतन 1000 किसान आत्महत्या कर रहे है। कृषि मे लगातार बढती लागत, ओर उपज में ठहराव के कारण किसान ऋण के जाल में फंसता चला जा रहा है।

भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी देश के रोजगार का 56 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से ही आता है। आज जबकि देश की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षो से औसतन 8 प्रतिशत की गति से बढ रही है। वहीं कृषि की वृद्धि दर मात्र 2 प्रतिशत ही है। सरकार की नीतियों की फलस्वरूप कृषि और किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 15 वर्षों में देश में लगभग 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके है।

भारत में लगभग 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार है। जिसको देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शर्म का विषय कहते है। देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 510 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से घट कर अब 437 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रह गई है। दालों ओर खाद्य तेलों की भी प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही है। लेकिन इसके बावजूद खेती के प्रति सरकार की विमुखता लगातार बनी हुई है। उद्योगों, Special Economic Zone (SEZ), आधारभूत संरचना ओर शिक्षा के नाम पर लगातार कृषि योग्य भूमि का बड़ी कम्पनियों के लिए जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। 122 करोड़ जनसंख्या वाले भारत की खाद्य सुरक्षा आयात पर संभव नही है। बडी कम्पनिया Land Bank बना कर कृषि योग्य भूमि को अपने व्यवसायिक हितों के लिए उपयोग कर रही है।

स्वदेशी जागरण मंच का यह निश्चित मत है कि, कृषि भारत की जीवन रेखा है। इसलिए यह राष्ट्रीय सभा सरकार से मांग करती है कि –

1. सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते किसान को लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण, किसानों की आय निरंतर घटती जा रही है। अतः किसान को स्वाभिमानपूर्वक जीवनयापन हेतु एक सुनिश्चित आमदनी की गारंटी देने के लिए 'किसान आय आयोग' का गठन किया जाए।
2. भारत के विकास का मॉडल भारत के मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों, परिस्थिति, जरूरतों, कमजोरी व ताकतों के आधार पर बनाया व लागू किया जाए। कृषि व पशुधन में सर्वसमावेशी व अक्षय विकास की असीम संभावनाएं है। अतः कृषि–किसान–गांव को केंद्र में रखकर, जल–जमीन–जंगल–जानवर–जनता को विकास के मॉडल का केंद्र माना जाए।
3. गैर कृषि कार्यों के लिए कृषि जमीन का अधिग्रहण न हो।
4. प्रस्तावित जल नीति वापिस हो और भूजल पर किसान का स्वामित्व हो।
5. वर्तमान में प्रचलित रसायनिक खेती के दुष्परिणामओं को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती को सरकारी सहायता देने सहित, उसे प्रोत्साहित करने की समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए।
6. जी.एम. तकनीक के नाम पर देश की कृषि व खाद्य संप्रभुता को नष्ट करने के तमाम प्रयासों का विरोध किया जाए।
7. किसानों को उनकी उपज की खरीद का भुगतान तुरंत करने की व्यवस्था हो। देरी होने पर उन्हें ब्याज सहित भुगतान किया जाए और जब तक उन्हें सभी भुगतान न मिलें, किसानों के सभी ऋणों की अदायगी स्थगित

की जाये।

8. पशुधन एवं दुग्ध उत्पाद देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस हेतु अतिक्रमित गोचर भूमि को वापिस लाया जाए, पशुधन विकास को प्राथमिकता मिले।
9. कृषि उत्पादों की आयात–निर्यात नीति बनाते हुए किसान हितों को ध्यान में रखा जाए और उसे फसल चक्र के साथ जोड़ा जाए।
10. मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ा जाए।
11. पारंपरिक कारीगरों (यथा जुलाहों, लोहार, बढ़ई, बुनकर, दर्जी, चर्मकार आदि–आदि), मछुआरों, आदिवासियों, सीमांत व भूमिहीन किसान सहित अनेक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया जाए। इस हेतु हर गांव के लिए अलग–अलग 'मास्टर प्लान' बने। वन उत्पादों की खरीद हेतु, गांव के स्तर पर ही व्यवस्था हो।
12. सट्टेबाजी पर रोक लगाने हेतु सभी प्रकार के कृषि उत्पादों के वायदा बाजार को तुरंत प्रतिबंधित किया जाये।
13. पूरे देश में कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध हो।

पारित प्रस्ताव – 4

पेंशन और बीमा सुधारों के नाम पर सरकार की कुत्सित योजना

पेंशन फंडों मे विदेशी निवेश को अनुमति और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने के संबंध में सरकार के पास कोई अधिकार नही है, दोनो निर्णयों के लिए सरकार को संसद की अनुमति की जरूरत होगी। वर्तमान सरकार का अस्तित्व स्वयं ही संदेह में है क्योंकि सप्रंग सरकार के सहयोगि दलों ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने के निर्णय का संसद में विरोध का फैसला किया है और कहा है कि, वे संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते है।

अब सप्रंग सरकार ने पेन्शन फंडो, जहॉ अभी विदेशी निवेश की अनुमति नही है, में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति एवं बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्तमान सीमा को वर्तमान 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत करने के संबंध में संसद की अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

आज जब पश्चिमी देश, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र को संचालित एवं नियंत्रित करते है, स्वयं अपने पेन्शन फंडो और बीमा कंपनियो के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे है, पेन्शन क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढाने का यह निर्णय भारत के वित्तीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के साथ जोडने का एक कुत्सित प्रयास है।

पेंशन फंडो और बीमा कंपनीयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतोतगत्वा पेन्शन और बीमा के धन को शेअर बजार में धकेलने का काम करेगा, जैसा कि, अमरिका में हुआ, जहां पिछले तीन दशकों में पेंशन और बीमा फंडो का निवेश शेयर बाजारों में 1978 में 20 प्रतिशत से बढता हुआ अब 50 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इस दौरान शेयर बजारों में बँको का हिस्सा 57 प्रतिशत से घटकर अब 30 प्रतिशत रह गया है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेन्सी रॉयटर के अनुसार, वैश्विक स्तर पर शेअरों के कीमतों में कमी के चलते '1500 एस. एण्ड पी. पेन्शन फंडो' में आस्ति कवर (Asset Cover) 2007 में 108 प्रतिशत से घटता हुआ 2011 मात्र 75 प्रतिशत ही रह गया। शेअर बजारों मे पेंशन फंड लगाने का अमरिका का मॉडल विनाशकारी सिद्ध हुआ है। इसके विपरीत जर्मनी और अन्य युरोपीय प्रायद्वीप के देशों और जापान में भी पेंशन फंड बँकों में जमा होते हैं, जैसा कि भारत में भी है। पेंशन फंडो को शेयर बजार में लगाए जाने की व्यवस्था ने अमरिका में कहर ढहाया है और पेंशन फंडो में घाटा 1500 एस.एण्ड.पी. के संदर्भ में 520 अरब डॉलर तक पहुॅच चुका है। इसके अतिरिक्त अमरिकी सरकार का अपंगता कार्यक्रम फंड 2016 में समाप्त की संभावना है, स्वास्थ्य फंड 2024 में और सामाजिक सुरक्षा रिजर्व 2033 में समाप्त हो जाएंगे।

पेंशन फंडो से लाभ अब मात्र 2 प्रतिशत के आस पास ही रह गए है। इसलिए वे अपने लाभ बढ़ाने हेतू निवेश के नए चरागाहों की तलाश में है। अप्रैल 2012 में जे.पी मॉर्गन ने अपने शोध पत्र में पेंशन फंडों को यह सलाह दी है कि, वे अपने निवेश को भारत के रियल इस्टेट, कृषि भूमि

इत्यादि में स्थानांतरित करें।

इससे पता चलता है कि अमरिका और पश्चिमी देशों का वित्तीय तंत्र जो बरबादी के कगार पर खड़ा है, अब अपनी कागजी मुद्रा के निवेश के लिए बाजारों की तलाश में है। वित्तीय क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने से अब अंतर्राष्ट्रीय पश्चिम की वित्तीय संस्थाए अब उन क्षेत्रों में भी घुस जाएंगी जहां अभी विदेशी निवेश की अनुमति नही है। इस प्रकार बीमा और पेंशन फंडो को विदेशी निवेश हेतु खोलने से देश और देश की जनता और उनकी बचत के लिए घातक परिणाम होंगे।

पेंशन फंडों मे विदेशी निवेश को अनुमति और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने के संबंध में सरकार के पास कोई अधिकार नही है, दोनो निर्णयों के लिए सरकार को संसद की अनुमति की जरूरत होगी। वर्तमान सरकार का अस्तित्व स्वयं ही संदेह में है क्योंकि सप्रंग सरकार के सहयोगि दलों ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने के निर्णय का संसद में विरोध का फैसला किया है और कहा है कि, वे संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते है।

आज जब सरकार की यह स्थिति है और मीडिया रिपोर्टे यह कह रही है की, संप्रंग सरकार कैबिनेट में पेन्शन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाकर और बीमा में विदेशी निवेश की सीमा बढाते हुए बड़े सुधारों की दूसरी श्रृंखला लेकर आ गयी है।

मीडिया द्वारा कैबिनेट मे इन दो क्षेत्रों में विदेशी निवेश को अनुमति और वृद्धि की रिपोर्टों से यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि, यह अंतिम निर्णय हो गया है, क्यों कि अंतोतगत्वा यह निर्णय संसद द्वारा लिया जाना है। जनता इस निर्णय के साथ नहीं है इसलिए सरकार को इन बिलों को आगे बढाने से बाज आना चाहिए।

लेकिन, यदि इसके बावजूद सरकार इन बिलों को आगे बढ़ाती है तो स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा संप्रंग सरकार के सहयोगी दलों सहित सभी राजनैतिक दलों को आगाह करती है की यह वर्तमान सरकार की भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने की मात्र एक रणनीती है, इसलिए वे इन तथाकथित आर्थिक सुधारों को सिरे से नकारतें हुए सरकार के वास्तविक चरित्र को उजागर करें।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार के इन घटिया तौरतरीकों और देश को बेचने के प्रयासों के विरूद्ध चेतावनी देता है। स्वदेशी जागरण मंच देश को देश और उसकी वित्तीय व्यवस्था को विदेशियों के हाथों बेचने की अनुमति कभी नही देगा। स्वदेशी जागरण मंच को पूर्ण विश्वास है की सभी राजनीतिक दल, विशेष तौर पर प्रमुख विरोधी दल के नाते भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर खडे होंगे और राष्ट्रहित में सरकार की कुत्सित योजनाओं का पर्दाफाश किया जाएगा और देश को नीचा नहीं देखना पड़ेगा। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

एफडीआई यानि फाँसी का फंदा

सरकार का किसानों को लाभ पहुंचने का दावा भी गलत है। वालमार्ट खेतों तक जाकर खरीदारी या बिक्री नहीं करता। वह आने वाली फसल को फ्यूचर मार्केट से खरीदता है और कृषिगत उत्पादों की कीमत निर्धारित करता है। यह चीन जैसे देशों से सस्ता माल उठाकर बाजार में बेचता है, जैसा कि उसने अमेरिका में किया। अमेरिका के उदाहरण से हमें सबक लेना चाहिए. . .स्वरोजगार ही रोजी–रोटी का सबसे बड़ा साधन है। कृषि और खुदरा व्यापार सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। ऐसे में सरकार की यह तुगलकी नीति छोटे–मझोले किसानों व कारोबारियों को अंततः आत्महत्या के लिए विवश करेगी।

■ **बलवीर पुंज**

संसद के सत्रावसान के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री ने खुदरा व्यापार के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय क्यों लिया? यक्ष प्रश्न यह भी है कि अमेरिका के दबाव में किए गए इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ जब तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से जो सरकार डगमगा रही थी उसे मुस्लिमों का हितैषी होने का दावा करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आक्सीजन क्यों प्रदान कर दी?

ऐसे समय में जब अमेरिका में बनी एक फिल्म को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों और अन्य धर्मावलंबियों में आक्रोश का भाव है, अमेरिका के दबाव में लिए गए इस निर्णय को सपा का समर्थन क्यों मिला? सरकार ने यह जनविरोधी कदम जहां कोयला घोटाले के बाद सरकार पर पुती कालिख से जनता का ध्यान बंटाने के लिए उठाया, वहीं खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को मुलायम सिंह का समर्थन यक्ष प्रश्न बना हुआ है। क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से उपभोक्ताओं को वस्तुएं सस्ती दरों पर मिलेंगी?

सरकार की मानें तो उपभोक्ताओं, किसानों को लाभ मिलने के साथ लाखों बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। यथार्थ क्या है?

भारत में करीब 1.2 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं और करीब चार करोड़ लोगों को इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। अमेरिकी कंपनी वालमार्ट के लिए भारत का दरवाजा खोलने वाले प्रधानमंत्री वस्तुतः अर्थशास्त्री से अनर्थशास्त्री हो गए हैं, इसीलिए स्वयं अमेरिका में इन दिनों वालमार्ट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों की अनदेखी करते हुए उन्होंने खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश की अनुमति देने की अदूरदर्शिता दिखाई है।

भारत में करीब 1.2 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं और करीब चार करोड़ लोगों को इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। अमेरिकी कंपनी वालमार्ट के लिए भारत का दरवाजा खोलने वाले प्रधानमंत्री वस्तुतः अर्थशास्त्री से अनर्थशास्त्री हो गए हैं, इसीलिए स्वयं अमेरिका में इन दिनों वालमार्ट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों की अनदेखी करते हुए उन्होंने खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश की अनुमति देने की अदूरदर्शिता दिखाई है।

विगत 30 जून को अमेरिका के सबसे धनी शहर, लॉस एंजिल्स में दस हजार से अधिक लोगों ने 'वालमार्ट मायने गरीबी' का नारा लगाते हुए वालमार्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पूर्व एक जून को वाशिंगटन में सैकड़ों लोगों ने 'से नो टू वालमार्ट' का नारा लगाया। पूरे अमेरिका में वालमार्ट के खिलाफ इसी तरह का जनाक्रोश है।

वेब पत्रिका एटलांटिसिटीज में हाल में एक विस्तृत लेख छपा, जिसमें बताया गया है कि किस तरह वालमार्ट छोटे व्यापारों का सफाया कर रहा है। लेख के अनुसार शिकागो में वालमार्ट ने 2006 में कारोबार प्रारंभ किया था। 2008 तक 306 छोटी दुकानों में से 82 दुकानदारों को अपना धंधा बंद करने को मजबूर होना पड़ा।

एक आर्थिक सर्वेक्षण में वालमार्ट के इलाकों में छोटे व्यापारों के बंद होने की दर 35 से 60 प्रतिशत तक पाई गई। वालमार्ट स्टोरों से प्रति मील की दूरी पर स्थित दवा दुकानों के बंद होने की दर जहां 20 प्रतिशत है, वहीं गृहसज्जा, हार्डवेयर और खिलौना दुकानों के बंद होने की दर क्रमशः 15, 18 और 25 प्रतिशत है। इसलिए खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से छोटे और मझोले कारोबारियों को होने वाले नुकसान

से इन्कार नहीं किया जा सकता। सरकार का किसानों को लाभ पहुंचने का दावा भी गलत है। वालमार्ट खेतों तक जाकर खरीदारी या बिक्री नहीं करता। वह आने वाली फसल को फ्यूचर मार्केट से खरीदता है और कृषिगत उत्पादों की कीमत निर्धारित करता है। यह चीन जैसे देशों से सस्ता माल उठाकर बाजार में बेचता है, जैसा कि उसने अमेरिका में किया। अमेरिका के उदाहरण से हमें सबक लेना चाहिए।

2008 में अमेरिका में चावल के दाम 2007 की तुलना में तीन गुना बढ़े थे। यह वही समय था, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज बुश ने यह कहा था कि नए–नए खुशहाल बने भारतीयों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। सच क्या था? 23 अप्रैल, 2008 के अपने अंक में अमेरिका टूडे और सीएनएन ने कैलिफोर्निया राइस कमीशन और यूएसए राइस फेडरेशन के हवाले से यह बताया था कि देश में चावल की कोई किल्लत नहीं है और पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध है। फिर चावल की कीमतें बढ़ने का क्या कारण था? इसका कारण वालमार्ट द्वारा भारी मात्रा में चावल की जमाखोरी था। अमेरिकी किसानों ने इसके लिए फ्यूचर मार्केट को कसूरवार बताया था। पहले तो वालमार्ट ने सस्ते में माल उठा लिया और जब बाद में कीमतें बढ़ीं तो जिन किसानों के पास चावल थे, उनसे लेने से मना कर दिया। किसानों को दोनों ओर से मार पड़ी।

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के समर्थकों का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र और किसानों में समृद्धि आएगी, किंतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 'कृषि, विपणन और आंतरिक व बाह्य व्यापार' के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल की रिपोर्ट ग्रामीण भारत की सही तस्वीर उकेरती है। भारत के 32 करोड़ से

वेब पत्रिका एटलांटिसिटीज में हाल में एक विस्तृत लेख छपा, जिसमें बताया गया है कि किस तरह वालमार्ट छोटे व्यापारों का सफाया कर रहा है। लेख के अनुसार शिकागो में वालमार्ट ने 2006 में कारोबार प्रारंभ किया था। 2008 तक 306 छोटी दुकानों में से 82 दुकानदारों को अपना धंधा बंद करने को मजबूर होना पड़ा। एक आर्थिक सर्वेक्षण में वालमार्ट के इलाकों में छोटे व्यापारों के बंद होने की दर 35 से 60 प्रतिशत तक पाई गई।

23 अप्रैल, 2008 के अपने अंक में अमेरिका टूडे और सीएनएन ने कैलिफोर्निया राइस कमीशन और यूएसए राइस फेडरेशन के हवाले से यह बताया था कि देश में चावल की कोई किल्लत नहीं है और पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध है। फिर चावल की कीमतें बढ़ने का क्या कारण था? इसका कारण वालमार्ट द्वारा भारी मात्रा में चावल की जमाखोरी था।

ज्यादा लोग ग्रामीण कृषि पर जिंदा हैं। उनकी खेती का आकार 5 एकड़ या उससे भी कम है। भारत के सकल खेती उद्योग में छोटे खेतों की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत है, किंतु उनमें 41 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन होता है। उनकी उत्पादन क्षमता 33 प्रतिशत अधिक है। छोटे खेतों को बड़े खेतों में परिवर्तित कर दें तो खाद्यान्न उत्पादन में 7 प्रतिशत की गिरावट आ जाएगी। यह केवल खाद्यान्न की स्थिति नहीं है। छोटे और मझोले फार्मो से 1009 लाख टन दूध का उत्पादन होता है। इसलिए भारत में फुटकर किसानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

'फार्म गेट टू वालमार्ट गेट' थ्योरी में बिचौलियों और छोटे किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। भारत में इस सिद्धांत को देखें तो अभी गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों तक इसी तरह होती है। किंतु यदि गन्ने का मूल्य सरकार तय नहीं करे और उसे बाजार पर छोड़ दिया जाए तो गन्ना उत्पादकों के सामने भुखमरी की हालत आ जाएगी।

यदि बड़ी कंपनियों से किसानों को ज्यादा खुशहाली मिलती तो अमेरिका और यूरोप को अपने किसानों को प्रतिदिन एक बिलियन डॉलर सब्सिडी देने की नौबत नहीं होती। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काम सस्ते बाजार से माल उठाकर ज्यादा कीमतों पर उपभोक्ता को बेचना है। आज हमारे कुटीर और लघु उद्योग चीन के उत्पादों के कारण ही बंदी के कगार पर हैं। विदेशी कंपनियां भारत में महंगी भारतीय वस्तुओं की जगह चीन जैसे अन्य सस्ते देशों के उत्पाद खरीदने और बेचने की नीति अपनाएंगी। इस दशा में देश में घरेलू उद्योग का जो वर्तमान ढांचा शेष है उसके तबाह होने का भी खतरा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने के कारण वे घाटा उठाकर भी लंबे समय तक सस्ती दरों पर वस्तुएं बेच सकती हैं। इसके कारण घरेलू बाजार से प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। इसके बाद कंपनी अपनी शर्तों पर उत्पाद बेचने लगती है और उपभोक्ता के पास कोई विकल्प भी नहीं रह जाता।

स्वरोजगार ही रोजी–रोटी का सबसे बड़ा साधन है। कृषि और खुदरा व्यापार सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। ऐसे में सरकार की यह तुगलकी नीति छोटे–मझोले किसानों व कारोबारियों को अंततः आत्महत्या के लिए विवश करेगी। ❑

यदि बड़ी कंपनियों से किसानों को ज्यादा खुशहाली मिलती तो अमेरिका और यूरोप को अपने किसानों को प्रतिदिन एक बिलियन डॉलर सब्सिडी देने की नौबत नहीं होती। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काम सस्ते बाजार से माल उठाकर ज्यादा कीमतों पर उपभोक्ता को बेचना है। आज हमारे कुटीर और लघु उद्योग चीन के उत्पादों के कारण ही बंदी के कगार पर हैं। विदेशी कंपनियां भारत में महंगी भारतीय वस्तुओं की जगह चीन जैसे अन्य सस्ते देशों के उत्पाद खरीदने और बेचने की नीति अपनाएंगी। इस दशा में देश में घरेलू उद्योग का जो वर्तमान ढांचा शेष है उसके तबाह होने का भी खतरा है।

कृषि के नाम पर देश को बेचना

वालमार्ट का कुल व्यापार 450 अरब डॉलर है। संयोग से भारत का रिटेल मार्केट भी 420 अरब डॉलर से कुछ अधिक है। जहां वाल–मार्ट ने कुल 21 लाख लोगों को रोजगार दिया है, वहीं भारत में रिटेल क्षेत्र में 1.20 करोड़ दुकानों में 4.4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वालमार्ट अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराएगी, बल्कि करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लेगी।

■ **देविन्दर शर्मा**

रिटेल में एफडीआई को कृषि की तमाम बीमारियों का रामबाण इलाज बताया जा रहा है। सरकार प्रचारित कर रही है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बिचौलिये खत्म होंगे और उपभोक्ताओं को कम कीमत में सामान मिलेगा। साथ ही कृषि उपज की आपूर्ति में होने वाली बर्बादी पर अंकुश लगेगा। यह सब झूठ है। यह दोषपूर्ण नीति लागू करने के बाद उद्योग जगत तथा नीति निर्माताओं द्वारा सुविधाजनक बहाना है।

यह जानने–समझने के लिए कि रिटेल में एफडीआई का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें यूरोप और अमेरिका के उदाहरणों पर नजर डालनी होगी। अमेरिका में वालमार्ट की शुरुआत करीब 50 साल पहले हुई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान गायब हो चुके हैं, गरीबी बढ़ गई है और इसी साल भुखभरी ने 14 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। निःसंदेह कोई भी देश फिर वह चाहे भारत हो, अमेरिका या फिर जापान, अपने किसानों तथा गरीबों को सब्सिडी देना पसंद नहीं करेगा।

भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी घटाने की मांग हो रही है। इसी उद्देश्य से सरकार ने तेल के दामों में कई बार बढ़ोतरी करके सब्सिडी का भार आम आदमी के सिर पर डाल दिया है। यही नहीं सरकार ने यूरिया को छोड़कर अन्य खादों से भी नियंत्रण हटा लिया है। इस प्रकार कृषि को मिलने वाली सब्सिडी में सरकार भारी कटौती कर रही है। अमेरिका भी कोई अपवाद नहीं है।

अगर वालमार्ट इतनी ही किसानों की हितचिंतक है तो फिर अमेरिका कृषि क्षेत्र में साल दर साल भारी सब्सिडी क्यों उड़ेल रहा है?

अमेरिका में 2008 में पारित हुए कृषि बिल में पांच वर्षों के लिए 307 अरब डॉलर यानी करीब 15,50,000 करोड़ रुपये की भारी–भरकम रकम का प्रावधान किया गया है। 2002–09 के बीच अमेरिका किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में 13

रिटेल में एफडीआई का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें यूरोप और अमेरिका के उदाहरणों पर नजर डालनी होगी। अमेरिका में वालमार्ट की शुरुआत करीब 50 साल पहले हुई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान गायब हो चुके हैं, गरीबी बढ़ गई है और इसी साल भुखभरी ने 14 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। निःसंदेह कोई भी देश फिर वह चाहे भारत हो, अमेरिका या फिर जापान, अपने किसानों तथा गरीबों को सब्सिडी देना पसंद नहीं करेगा।

लाख करोड़ रुपये दे चुका है। विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में अमेरिका ने इस सब्सिडी की जोरदार पैरवी की है और इनमें कटौती से साफ इन्कार कर दिया है। 30 धनी देशों के ओइसीडी समूह ने 2008 की तुलना में 2009 में कृषि सब्सिडी में 22 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जबकि 2008 में भी इसमें 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। 2009 में इन देशों ने 12.60 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को दी थी।

तथ्य यह है कि दिग्गज रिटेल चेन के होते हुए यूरोप के किसान बिना सरकारी सहायता के जिंदा नहीं रह सकते। क्या इससे पता नहीं चलता कि यूरोप–अमेरिका में उच्च कृषि आय बड़ी रिटेल चेन के बजाय सरकारी सब्सिडी के कारण है? असल में पूरी दुनिया में यूरोप कृषि को सहायता देने में सबसे आगे है। यूरोप में हर गाय पर करीब दो सौ रुपये की सहायता मिलती है, जबकि भारत में किसान एक गाय से रोजाना 40–50 रुपये ही कमा पाता है।

इससे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर किसानों की आमदनी में वृद्धि नहीं हो रही है तो बड़ी रिटेल चेन बिचौलियों को कैसे खत्म कर रही हैं? इसका जवाब यह है कि जो कुछ प्रचारित किया जा रहा है उसके विपरीत बड़ी रिटेल चेन बिचौलियों को खत्म नहीं कर रही हैं। उदाहरण के लिए वालमार्ट खुद एक बिचौलिया है–एक बड़ा बिचौलिया जो तमाम छोटे बिचौलियों को हड़प जाता है। असल में बड़ी रिटेल चेन में बिचौलियों की पूरी श्रृंखला होती है। इनमें गुणवत्ता नियंत्रक, मानकीकरण करने वाले, प्रमाणन एजेंसी, प्रसंस्करण कर्ता आदि बिचौलियों के ही नए रूप हैं।

केवल अमेरिका में ही नहीं, यूरोप में

भी किसानों की संख्या लगातार घटती जा रही हैं। वहां हर मिनट औसतन एक किसान खेती को तिलांजलि दे रहा है। अगर बड़े रिटेलों के कारण किसानों की आमदनी बढ़ती है तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि किसान खेती क्यों छोड़ रहे हैं? इस बात के भी कोई साक्ष्य नहीं हैं कि बड़े रिटेलर उपभोक्ता को कम दामों में सामान मुहैया कराते हैं।

लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया

अगर वालमार्ट इतनी ही किसानों की हितचिंतक है तो फिर अमेरिका कृषि क्षेत्र में साल दर साल भारी सब्सिडी क्यों उड़ेल रहा है? अमेरिका में 2008 में पारित हुए कृषि बिल में पांच वर्षो के लिए 307 अरब डॉलर यानी करीब 15,50,000 करोड़ रुपये की भारी–भरकम रकम का प्रावधान किया गया है। 2002–09 के बीच अमेरिका किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में 13 लाख करोड़ रुपये दे चुका है।

में बड़े रिटेलर उपभोक्ताओं से खुले बाजार की तुलना में बीस से तीस प्रतिशत अधिक वसूल रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में बड़े रिटेल स्टोरों में खाद्य पदार्थ इन स्टोरों के परोपकार के कारण सस्ते नहीं हैं। दरअसल, यहां विशाल सब्सिडी के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आ जाती है और अमेरिका व यूरोप, दोनों ही खाद्य पदार्थों तथा अन्य कृषि उत्पादों को भारी सब्सिडी देने के लिए जाने जाते हैं।

उदाहरण के लिए 2005 में अमेरिका ने अपने कुल 20,000 कपास उत्पादक किसानों को करीब 25,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, जबकि इस कपास का मूल्य करीब 20,000 करोड़ रुपये ही था। इस सब्सिडी के कारण कॉटन का बाजार मूल्य करीब 48 फीसदी कम हो जाता है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थो पर सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका में वालमार्ट की तरह ही कारगिल व एडीएम जैसी अन्य व्यावसायिक कंपनियां बड़े स्तर पर कृषि उपजों का भंडारण करती हैं।

मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वालमार्ट, टेस्को और सेंसबरी जैसी कंपनियां

उचित रूप से अन्न का भंडारण सुनिश्चित करती हैं। मनमोहन सिंह कहते हैं कि रिटेलर उचित खाद्य भंडारण सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं हैं। खाद्यान्न का भंडारण सरकार का काम है, किंतु दुर्भाग्य से भारत में कभी खाद्यान्न भंडारण के काम को प्राथमिकता पर नहीं लिया गया। खुले में गेहूं सड़ रहा है और करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं।

भारत में हमें अमूल के उदाहरण से सबक लेना चाहिए, जिसने जल्दी खराब हो जाने वाले दुग्ध उत्पादों को लंबी दूरी तक ले जाने की अत्याधुनिक आपूर्ति चेन विकसित की। हमें अमूल से सीखना चाहिए। अब जरा इस दावे पर गौर करें कि बड़ी रिटेल कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

खुले में गेहूं सड़ रहा है और करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। भारत में हमें अमूल के उदाहरण से सबक लेना चाहिए, जिसने जल्दी खराब हो जाने वाले दुग्ध उत्पादों को लंबी दूरी तक ले जाने की अत्याधुनिक आपूर्ति चेन विकसित की। हमें अमूल से सीखना चाहिए।

मनमोहन सिंह ने कहा है कि बड़ी रिटेल कंपनियां भारत में एक करोड़ रोजगार सृजित करेंगी। न जाने वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? अंतरराष्ट्रीय साक्ष्यों से पता चलता है कि बड़े रिटेलर रोजगार बढ़ाने के स्थान पर कम कर देते हैं। वालमार्ट का कुल व्यापार 450 अरब डॉलर है। संयोग से भारत का रिटेल मार्केट भी 420 अरब डॉलर से कुछ अधिक है। जहां वाल–मार्ट ने कुल 21 लाख लोगों को रोजगार दिया है, वहीं भारत में रिटेल क्षेत्र में 1.20 करोड़ दुकानों में 4.4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वालमार्ट अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराएगी, बल्कि करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लेगी। निश्चित तौर पर भारत को अपने रिटेल क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिटेल बाजार को विदेशी खिलाड़ियों के हवाले कर दिया जाए और वह भी किसानों के नाम पर। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

वालमार्ट आएगा, रोजी-रोटी खाएगा

वालमार्ट, केयरफोर, मेट्रो, टेस्को – यदि चारों टॉप ब्रांड्स का औसत निकाल लिया जाए तो प्रति स्टोर कर्मचारियों की संख्या बनती है 117 की। यदि चारों ब्रांड मिलकर वाणिज्य मंत्रालय के रोजगार देने के दावे को पूरा करना चाहें तो उन्हें कुल 34180 स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। आज चारों ब्रांड्स के विश्वव्यापी स्टोर्स की कुल संख्या 18874 है। रिटेल में एफडीआई के लिए सरकार ने कुल 53 महानगरों को चिन्हित किया है। वाणिज्य मंत्रालय के रोजगार टारगेट को पूरा करने के लिए हर शहर में औसतन 644 सुपरमार्केट खोलने पड़ेंगे। क्या यह संभव है? तब क्या सरदार मनमोहन सिंह की सरकार देश से सफेद झूठ नहीं बोल रही है?

■ **प्रेम शुक्ल**

रिटेल यानी खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर हर राजनीतिक दल के मन में जो सबसे बड़ी आशंका है वह है बड़ी आबादी वाले देश में व्यापक बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। सरकार का दावा है कि वालमार्ट जैसी रिटेल कंपनियों के लिए दरवाजा खोल देने से देश में 40 लाख रोजगार के नये अवसर पैदा होगें। क्या इसमें कोई सच्चाई है?

अगले तीन वर्षों में 'वालमार्ट' 40 लाख कर्मचारियों को भारत में रोजगार देना चाहे तो आज उसके 28 देशों में जितने कुल स्टोर्स हैं उसकी तुलना में लगभग दोगुना स्टोर अकेले भारत में खोलना पड़ेगा। यदि रिटेल क्षेत्र के चारों टॉप ब्रांड्स का औसत निकाल लिया जाए तो प्रति स्टोर कर्मचारियों की संख्या बनती है 117 की। यदि चारों ब्रांड मिलकर वाणिज्य मंत्रालय के रोजगार देने के दावे को पूरा करना चाहें तो उन्हें कुल 34,180 स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। क्या यह संभव है?

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के प्रथम संस्कण में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाई गई थी सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीडीपी) में 8 से 10 फीसदी की सालाना वृद्धि। जीडीपी में वृद्धि का लाभ क्या आम आदमी को मिला? सरकारी आंकड़े ही इस प्रश्न का जवाब नकारात्मक देते हैं। 2000 से 2005 के बीच रोजगार वृद्धि में इजाफे की दर 2.53 प्रतिशत थी जो 2005 से 2010 के बीच में घटकर 0.8 प्रतिशत रह गई। यह आंकड़ा नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) का है। इस अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर 4.65 प्रतिशत से गिरकर 2.53 प्रतिशत रह गई। देश की कुल श्रम शक्ति का 51 प्रतिशत हिस्सा स्वयं रोजगार वाला है। देश की कुल श्रमशक्ति में अस्थायी श्रमिकों की संख्या 33.5 प्रतिशत और नियमित या वेतनभोगी श्रमिकों की संख्या केवल 15.6 प्रतिशत है। 'आईसीआरआईईआर' ने मई 2008 में असंगठित क्षेत्र में संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव पर एक अध्ययन कराया। इस शोध रिपोर्ट के अनुसार 2006–2007 तक देश में कुल 1.3 करोड़ खुदरा दुकानदार थे जो औसतन 217 वर्गफुट की दुकान से अपना कारोबार करते हैं। असंगठित खुदरा क्षेत्र का कुल कारोबार लगभग 408.8 बिलियन डॉलर का है। औसतन प्रत्येक दुकानदार सालाना 15 लाख रूपए का करोबार करता है और न्यूनतम 3 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

अब हम देख लें कि एफडीआई के माध्यम से जिन मल्टीनेशनल ब्रांड्स को हम निमंत्रित कर रहे हैं उनका कारोबार और रोजगार अनुपात क्या है? 'वालमार्ट' इसमें सबसे चर्चित नाम है जिसका कारोबार 28 देशों में फैला है, जिसकी बिक्री 9800 स्टोर्स के माध्यम से 405 बिलियन डॉलर की है। वालमार्ट के कुल कर्मचारियों की संख्या 21 लाख है। इस अनुपात से अगर 'वालमार्ट' भारत में विस्तार पाता है तो एक 'वालमार्ट' स्टोर 1300 खुदरा दुकानदारों की दुकान बंद कराएगा जिसमें 3900 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 'वालमार्ट' के एक स्टोर में कुल आवश्यक कर्मचारियों की संख्या 225 होगी (यह आंकडा अमेरिका में 'वालमार्ट' स्टोर के आधार पर है)। यदि 'वालमार्ट' खुदरा क्षेत्र में आज सक्रिय श्रमशक्ति को समाहित भी करें तो 3,675 लोग एक स्टोर के खुलते ही बेरोजगार हो जाएंगे। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए उलटा भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय दावा करता है कि रिटेल में एफडीआई से अगले तीन वर्षों में 1 करोड़ नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें 40 लाख लोग सीधे नए स्टोर्स में कर्मचारी होंगे जबकि शेष आपूर्ति सेवाओं में रोजगार पाएंगे।

अब पहले दुनिया के 4 मल्टीनेशनल ब्रांड के वर्तमान स्टोर्स के कर्मचारियों की संख्या की पड़ताल कर लें। 'वालमार्ट' के दुनिया में कुल 9,826 स्टोर्स हैं जिसमें प्रति स्टोर 214 कर्मचारियों की दर से कुल 21 लाख कर्मचारी नियुक्त हैं।

दूसरा ब्रांड है 'केयरफोर' जिसके कुल 15937 स्टोर्स में प्रति स्टोर 30

कर्मचारियों के औसत से कुल 4,71,755 कर्मचारी नियुक्त हैं।

तीसरा ब्रांड है 'मेट्रो' जिसके कुल 2131 स्टोर्स में 133 प्रति स्टोर की दर से 2,83,280 कर्मचारी नियुक्त हैं।

चौथा बड़ा रिटेल ब्रांड है 'टेस्को' जिसके कुल 5380 स्टोर्स में प्रति स्टोर 92 कर्मचारी के औसत से 4,92,714 कर्मचारी नियुक्त हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रति स्टोर सर्वाधिक कर्मचारी नियुक्ति के मामले में इन चारों में 'वालमार्ट' शीर्ष पर है।

अब हम वाणिज्य मंत्रालय के दावे की पड़ताल करें तो ज्ञात होता है कि यदि अगले तीन वर्षों में 'वालमार्ट' 40 लाख कर्मचारियों को भारत में रोजगार देना चाहे तो उसे 18600 सुपर मार्केट खोलने पड़ेंगे, अर्थात आज उसके 28 देशों में जितने कुल स्टोर्स हैं उसकी तुलना में लगभग दोगुना।

यदि चारों टॉप ब्रांड्स का औसत निकाल लिया जाए तो प्रति स्टोर कर्मचारियों की संख्या बनती है 117 की। यदि चारों ब्रांड मिलकर वाणिज्य मंत्रालय के रोजगार देने के दावे को पूरा करना चाहें तो उन्हें कुल 34180 स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। आज चारों ब्रांड्स के विश्वव्यापी स्टोर्स की कुल संख्या 18874 है। रिटेल में एफडीआई के लिए सरकार ने कुल 53 महानगरों को चिन्हित किया है। वाणिज्य मंत्रालय के रोजगार टारगेट को पूरा करने के लिए हर शहर में औसतन 644 सुपरमार्केट खोलने पड़ेंगे। क्या यह संभव है? तब क्या सरदार मनमोहन सिंह की सरकार देश से सफेद झूठ नहीं बोल रही है? इस झूठ के लिए क्या सरकार को जूते से नहीं मारा जाना चाहिए? यदि रिटेल में एफडीआई का बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि सुपरमार्केट यदि एक रोजगार सृजित करेगा तो वह मौजूदा खुदरा क्षेत्र के 17 रोजगार खा जाएगा।

रिटेल में एफडीआई के समर्थन में दूसरा तर्क दिया जाता है कि इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी और आम आदमी को महंगाई की मार से बचाया जा सकेगा। यह तर्क बुनियादी तौर पर गलत है। रिटेल क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित होने से जब प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी तो महंगाई घटाने–बढ़ाने का सूत्र सीधे तौर पर मल्टीनेशनल कंपनियों को प्राप्त हो जाएगा। खाद्य विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप और

फ्रांस में 'केयरफोर' और हायपरमार्केट के बड़े ब्रांड्स ने देखते–देखते आस्ट्रेलिया के 97 प्रतिशत खुदरा बाजार को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन समेत यूरोप में बड़े ब्रांड्स के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत बाजार पर कब्जे में है। इसका परिणाम है कि जब मंदी में बाकी व्यापारी दम तोड़ रहे हैं. . .

अमेरिका में मंदी के बावजूद सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों की मेहरबानी से वहां खाद्य पदार्थों के भाव आसमान छू रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों के वायदा बाजार में सट्टा कराती हैं उसके परिणामस्वरूप भी खाद्य पदार्थ निचली पायदान की आबादी के लिए दुर्लभ है। पहले 'वालमार्ट'का बोधवाक्य हुआ करता था– 'आलवेज लो प्राइसेस, आलवेज' (हमेशा कम कीमत, हमेशा)। उसे जैसे ही मंदी की आहट मिली 2008 में उसका नारा बदल गया 'सेव मनी, लीव बेटर' (धन बचाओ, बेहतर जियो)। 2011 में भारी मंदी के बीच भी 'वॉल्मार्ट' ने ब्रेड, दूध, कॉफी, चीज यानी लगभग हर आवश्यक खाद्य सामग्री का भाव बड़ा दिया। अब अमेरिका में कोई ब्रांड उसका मुकाबला कर पाने की स्थिति में नहीं, इसलिए उसे अब प्रतियोगिता की परवाह नहीं, सो ग्राहकों को चूसने का दौर चल पड़ा है। जो कंपनी अमेरिकियों का खून चूस सकती है उससे भारतीयों को कौन बचाएगा?

सो, आप तैयार रहे कि सुनील भारती मित्तल अब 'वालमार्ट' के सहयोग से जल्द ही इस देश को लूटने का चक्र शुरू करेंगे। टाटा का संभावित पार्टनर टेस्को है। 'टेस्को' ने पिछले साल आयरलैंड में बड़े पैमाने पर अपने सामानों की कीमत में इजाफा किया है। 'टेस्को' को अपनी बैलेंस शीट में मुनाफा बढ़ाने का दबाव था सो उसने 8000 वस्तुओं की कीमतें एकमुश्त बढ़ा दीं। कौन रोक सकता है उसे?

यही काम फ्रांस में 'केयरफोर' और हायपरमार्केट के बड़े ब्रांड्स ने देखते–देखते आस्ट्रेलिया के 97 प्रतिशत खुदरा बाजार को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन समेत यूरोप में बड़े ब्रांड्स के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत बाजार पर कब्जे में है। इसका परिणाम है कि जब मंदी में बाकी व्यापारी दम तोड़ रहे हैं तब मनचाही मूल्यवृद्धि कर बड़े मल्टीनेशनल अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं।

नीलसन नामक सर्वेक्षण कंपनी ने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) पर 'रिटेल एंड शॉपर्स ट्रेंडरू एशिया पैसिफिक, दि लैटेस्ट इन रिटेलिंग एंड शॉपर्स ट्रेंड' के अगस्त 2010 के रिपोर्ट में माना कि सन 2000 से 2009 के बीच कोरिया, सिंगापुर, ताईवान, चीन, मलेशिया और हांगकांग में देखते–देखते मल्टीनेशनल ब्रांड खुदरा व्यापार को निगल गए। क्या भारत इस अजगर के जबड़े से बच पाएगा? ❑

गांधी के चिंतन से किनारा

गांधीजी मानते थे कि मनुष्य की कुछ आंतरिक इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति मात्र करने की जरूरत है। अनंत मात्रा में एयर कंडीशनर अथवा कार का उपभोग हानिकारक है, क्योंकि वह आंतरिक इच्छाओं से व्यक्ति को भटकाता है। समाज को ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी अंदरूनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए प्रेरित किया जाए। तब उपभोग अंदरूनी आवाज से सीमित हो जाएगा और वह अनंत भोग के जंजाल में नहीं पड़ेगा। एयर कंडीशनर एवं कार की ललक समाप्त हो जाने से उपभोग स्वतः सीमित हो जाएगा और पर्यावरण स्वतः सुधर जाएगा।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लागू की जा रही नीतियां महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के विपरीत हैं। प्रधानमंत्री भोगवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। टेलीविजन पर सॉफ्ट ड्रिंक्स एवं पान मसाले जैसे हानिकारक पदार्थ जनता को परोसे जा रहे हैं। पिज्जा हट, मैक्डॉनाल्ड एवं केंटकी फ्राइड चिकन जैसे फास्ट फूड प्रतिष्ठानों को प्रधानमंत्री उत्सुकता से देश में भोगवाद फैलाने के लिए बुला रहे हैं। पर्यावरण की अनदेखी करते हुए वह कार के उत्पादन को तेजी से बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री जनता को अमीर लोगों की जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिस प्रकार सिगरेट कंपनियां पैकेट पर लिखती हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु सिगरेट की खपत बढ़ाने के प्रयास करती रहती हैं उसी प्रकार प्रधानमंत्री भोगवादी जीवनशैली के फैलाव के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के टिकाऊ विकास और गांधीजी की विकास की अवधारणा में मौलिक अंतर है। टिकाऊ विकास में जीवन का अंतिम आदर्श उत्तरोत्तर अधिक भोग माना जाता है, जैसे बहुमंजिली एयर कंडीशंड इमारतों का निर्माण। निरंतर बढ़ते उपभोग में प्रकृति बाधा न डाले, मात्र यही सुनिश्चित किया जाता है। एयर कंडीशनर में क्लोरो फ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग होता है, जिससे पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इस पर टिकाऊ विकास के प्रवर्तकों का कहना है कि एयर कंडीशनर को साफ गैसों से चलाना चाहिए। कार के उपयोग से दूषित होते पर्यावरण के संबंध में वह कहते हैं कि कार में अच्छी गुणवत्ता का इंजन लगाओ ताकि प्रदूषण न फैले। गांधीजी का चिंतन इससे विपरीत था। वह पर्यावरण की बात अवश्य कहते थे, परंतु इसकी जड़ में

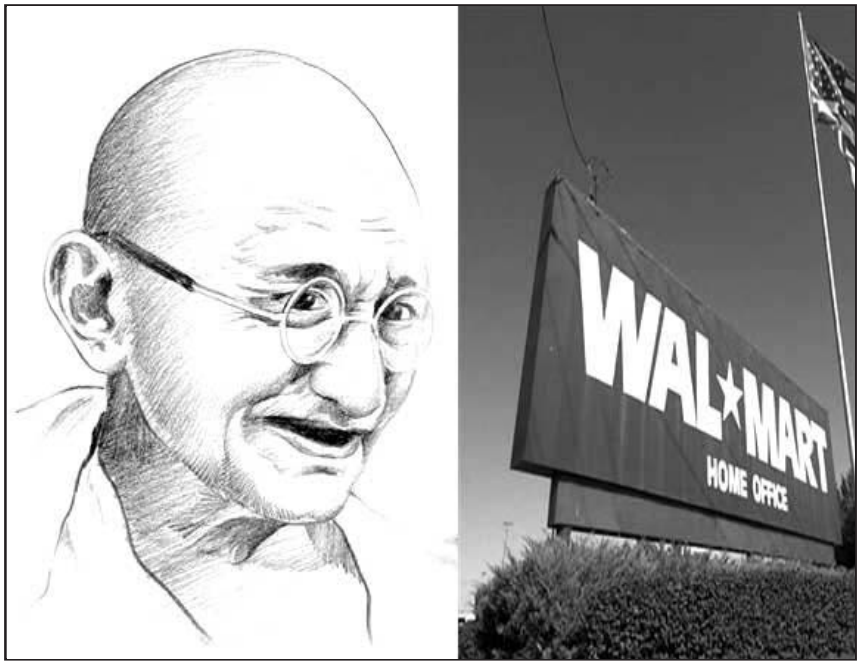

गांधीजी ने कहा था कि देश के संसाधनों का इंग्लैंड द्वारा दोहन बंद किया जाना चाहिए। इससे इंग्लैंड की क्षति होती हो तो हो। उन्होंने मांग की कि भारत अपनी आय का उपयोग भारतीयों के लिए करे। भारत को गरीब बनाकर इंग्लैंड का समृद्ध होना उन्हें ठीक नहीं लगता था। मनमोहन सिंह की दृष्टि इसके ठीक विपरीत है। वह जोर देते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद है।

खड़े भोगवाद के सिद्धांत को ही वह पलट देते थे।

गांधीजी मानते थे कि मनुष्य की कुछ आंतरिक इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति मात्र करने की जरूरत है। अनंत मात्रा में एयर कंडीशनर अथवा कार का उपभोग हानिकारक है, क्योंकि वह आंतरिक इच्छाओं से व्यक्ति को भटकाता है। समाज को ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी अंदरूनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए प्रेरित किया जाए। तब उपभोग अंदरूनी आवाज से सीमित हो जाएगा और वह अनंत भोग के जंजाल में नहीं पड़ेगा। एयर कंडीशनर एवं कार की ललक समाप्त हो जाने से उपभोग स्वतः सीमित हो जाएगा और पर्यावरण स्वतः सुधर जाएगा।

गांधीजी के अनुसार एयर कंडीशनर अथवा कार में साफ तकनीकों के उपयोग से बात नहीं बनती है। दस प्रदूषक कारों में साफ तकनीक के उपयोग से पर्यावरण में जितना सुधार होगा उससे अधिक नुकसान पचास कार के उपयोग से होगा। गांधीजी उपभोग सीमित करना चाहते थे, जबकि प्रधानमंत्री उपभोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

गांधीजी ने कहा था कि देश के संसाधनों का इंग्लैंड द्वारा दोहन बंद किया जाना चाहिए। इससे इंग्लैंड की क्षति होती हो तो हो। उन्होंने मांग की कि भारत अपनी आय का उपयोग भारतीयों के लिए करे। भारत को गरीब बनाकर इंग्लैंड का समृद्ध होना उन्हें ठीक नहीं लगता था।

मनमोहन सिंह की दृष्टि इसके ठीक विपरीत है। वह जोर देते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद है। वह स्वीकार करते हैं कि वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया अमीर देशों के हित में ज्यादा है, परंतु इस अन्याय से लोहा लेने के स्थान पर वह अमीर देशों द्वारा फेंकी गई रोटी को लेकर संतुष्ट हैं।

मनमोहन सिंह की दृष्टि इसके ठीक विपरीत है। वह जोर देते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद है। वह स्वीकार करते हैं कि वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया अमीर देशों के हित में ज्यादा है, परंतु इस अन्याय से लोहा लेने के स्थान पर वह अमीर देशों द्वारा फेंकी गई रोटी को लेकर संतुष्ट हैं।

गांधीजी की दृष्टि में गरीब के लिए प्रमुख विषय रोजगार का था, जिसमें वे सरकारी तंत्र से स्वतंत्र रहकर सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें। वह आम आदमी को सरकारी अनुदान पर आश्रित नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि आम आदमी का सरकार पर अंकुश स्थापित करना चाहते थे।

उन्होंने खादी को इसलिए बढ़ाया कि हर नागरिक को स्वतंत्र रोजगार मिले। मैनचेस्टर के सस्ते कपड़े को उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि अपने हाथों से बुना महंगा कपड़ा ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि उससे हर आदमी को सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने का अवसर मिलता है। गांधीजी चाहते थे कि मशीन से होने वाले सस्ते उत्पादन पर इतनी बंदिश लगा दी जाएं कि खादी, हथकरघा, रसवंती, तेलघानी जैसे तमाम कुटीर उद्योग पनपें।

प्रधानमंत्री द्वारा लागू की जा रही नीतियां इसके ठीक विपरीत हैं। उनके अनुसार कमजोर वर्गो की जरूरतों के पूरा होने का अर्थ वर्ष में 100 दिन न्यूनतम वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराना मात्र है। आम आदमी की जरूरत को प्रधानमंत्री केवल रोटी, कपड़ा, मकान के स्तर पर देखते हैं – उसमें स्वाभिमान एवं बौद्धिक विकास का पक्ष नदारद है।

सस्ते मशीनी उत्पादन को सर्वत्र अपनाकर प्रधानमंत्री पहले जनता को अपंग बना रहे हैं फिर मलहम लगाने के लिए 100 दिन का सरकारी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री के चिंतन में खादी जैसे स्वायत्त रोजगार नहीं हैं। सरकारी योजनाओं पर जनता के परावलंबन को ही वह स्वावलंबन बताते हैं। वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि जनता समझे कि सरकार उसके हित में काम कर रही है और यह न देखे कि सरकारी नीतियों से जनता के रोजगार समाप्त हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री वास्तव में गांधीजी के चिंतन के विपरीत चल रहे हैं। पश्चिमी अर्थशास्त्रियों द्वारा पढ़ाए जा रहे कल्याणकारी राज्य के फार्मूले को प्रधानमंत्री पूरी ताकत से लागू कर रहे हैं। इस फार्मूले में बड़ी कंपनियों को छूट दी जाती है। वे गरीब के रोजगार समाप्त करते हैं और उपभोक्ता को सस्ता माल उपलब्ध कराते हैं। बड़ी कंपनियों द्वारा अदा किए गए कर से बेरोजगार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इस फार्मूले का उद्देश्य बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाना है।

गरीब को केवल उतनी रोटी परोसी जाती है कि वह विद्रोह न करे। गांधीजी का चिंतन बिल्कुल विपरीत था। वह गरीब के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखते थे और इसे हासिल करने के लिए बड़ी कंपनियों पर बंदिश लगाने की वकालत करते थे। ❑

राष्ट्रवाद के सुन्दर-दर्शन थे सुदर्शन जी

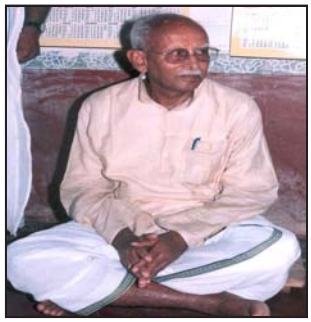

कुप्.सी. सुदर्शन जी
(18 जून, 1931 – 15 सितम्बर 2012)

आज इस भौतिकवादी युग में जब सत्ता और अधिकार के लिए मानवसंहार तक लोग करने में पीछे नहीं हटते, ऐसे दौर में भारत की धरा पर एक मानुष ऐसा भी आया जिसने अमानुषता के घोरतम कालिमा में एक मानुषता की ज्योति जलाने का ऐतिहासिक फैसला किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 'सरसंघचालक' थे। विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संगठन के मुखिया थे। विश्व में भी संघ की शाखाएं लगती हैं। वे ऐसे संगठन के प्रमुख थे, जिसे संगठन ने देश को हिन्दू होने का गौरव बताया।

■ प्रभात झा

वे मलयाली थे, वे तेलगु, तमिल, कन्नड़ थे या असमिया थे, बंगाली थे या पंजाबी थे या फिर मराठी थे या हिंदी बोली जाने वाली प्रांत के थे या अंग्रेजी–संस्कृत के साथ–साथ वे छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश के थे, इसका पता कोई लगा नहीं सकता क्योंकि इन सभी भाषाओं पर उनका नियंत्रण था। उन्होंने भारत की आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ लिया था। भारत माता उनके रोम–रोम में थी।

सुदर्शन जी को भी भारत माता ने अपनी गोद में पालपोसकर हर अंचल की आंचल का अमृत पिलाया। उनका 'कुल' मातृभूमि की माटी थी। उन्होंने भारत को स्वयं अपने नेत्रों से एक नहीं अनेक बार देखने का अनथक प्रयास किया। 62 वर्ष तक अनवरत संन्यासी भाव से देह को देश के लिए अर्पित कर उसकी रखवाली की भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व का नाम सुदर्शन जी है।

देश उनकी देह में धारण करता था, जिनके देह में राष्ट्रवाद की अखंड ज्योति सदैव जलती रहती थी और वह ''तमसो मां ज्योतिर्गमय'' की भाव से यायावर की तरह मां भारती की माटी को अपने माथे पर लगाकर प्रकृति की अर्पण में रात–दिन लगे रहते थी।

सुदर्शन जी के देह में मां का वात्सल्य था, पिता की सुरक्षा थी, गंगाजल की पवित्रता थी, हिमालयीन भाव सी ऊंचाईयां थी, वे कर्ण की तरह दानी थे, दधीचि की तरह उन्हें देह दान करने का असीम सामर्थ्य था। वे जमीनी थे। वे यथार्थ थे। वे सच थे। वे तप थे। वे यज्ञ थे। वे समिधा थे। वे अर्चना, आराधना, राष्ट्रोत्थान के संग–संग 'माधव' की संतान थे। उनमें गोवर्धन पहाड़ उठाने की क्षमता थी, वहीं वे संधान के प्रति सदैव जागरूक रहते थे।

सुदर्शन जी, 'स्वदेश' थे। सुदर्शन जी 'सिख संगत' थे। सुदर्शन जी 'राष्ट्रीय मुस्लिम मंच' थे। सुदर्शन जी आरोग्य और खेल के भी प्रतीक थे। वे शारीरिक थे। वे बौद्धिक थे। वे स्वदेशी थे। वे योगी थे। वे प्रयोगधर्मी थे। प्रयोग का प्रयास उनका मूल स्वभाव था। मूल में वे इंजीनियर होने के नाते रचनाधर्मी थे। वे नूतन के हामी थे पर पुरातन के संरक्षक भी थे। वे कावेरी, ताप्ती, नर्मदा सहित चंबल शिप्रा के साथ–साथ सभी नदियों के पुजारी थे। वैसे तो वे प्रकृति के पुजारी थे। सामान्य नहीं होता है स्वयं के प्रति वज्र होना। उनमें हनुमान सा साहस था तो वहीं भगवान श्रीराम की मर्यादा भी उनमें देखी जा सकती थी। वे मानवता के पुजारी थे। उनमें मानवों की पीड़ा पीने का अदम्य साहस था। वे समाज को अमृत व स्वयं के लिए जहर की अपेक्षा रखते थे।

आज इस भौतिकवादी युग में जब सत्ता और अधिकार के लिए मानवसंहार तक लोग करने में पीछे नहीं हटते, ऐसे दौर में भारत की धरा पर एक मानुष ऐसा भी आया जिसने अमानुषता के घोरतम कालिमा में एक मानुषता की ज्योति जलाने का ऐतिहासिक फैसला किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ''सरसंघचालक'' थे। विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संगठन के मुखिया थे। विश्व में भी संघ की शाखाएं लगती हैं। वे ऐसे संगठन के प्रमुख थे, जिसे संगठन ने देश को हिन्दू होने का गौरव बताया। वे उस संगठन के प्रमुख थे जिसने भारत की सांस्कृतिक चेतनाओं को विश्व के पटल पर जाग्रत रखने का और विश्व को भारत का महत्व समझाने के प्रयास में रात–दिन लगे रहे हैं। वे लाखों स्वयंसेवकों

के प्रमुख थे। 'वे' आदेश थे। वे प्रश्न नहीं उत्तर थे। वे समस्या नहीं समाधान थे।

खासकर वे सरसंघचालक उस समय थे जब देश में प्रधानमंत्री सहित अनेक मंत्री उनकी विचारधारा के थे। उन्हें उस दौरान की सत्ता का ऋषि भी कहा जा सकता है, पर वे सत्ता के प्रभाव से सदैव मुक्त रहे। वे चाहते थे कि सत्ता किसी की हो लेकिन वह राष्ट्रधर्म पर चले। भारत ओझल नहीं हो। सत्ता के केन्द्रबिन्दु में भारत रहता है तो भारतीय और भारतमाता पर कभी आंच नहीं आ सकती।

वे कहते थे सत्ता यदि अनुकूलता वाली है तो राष्ट्रीय यज्ञ में यज्ञ करने में सुविधा हो जाती है, और प्रतिकूलता वाली होती है तो थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक 'राष्ट्रीय मार्ग' है, जिस पर आज नहीं तो कल सभी को चलना है, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, क्योंकि पूजा पद्धति अलग–अलग हो सकती है, पर ईश्वर तो एक है।

वो कहते हैं कि हमें हमारा राष्ट्रीय, भारतीय, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मार्ग कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर मनुष्य है, या मनुष्यों का समाज है तो वह इन तत्वों के बिना नहीं रह सकता। अतः हमें हमारे मार्ग पर, जिसे हमने 'विजयादशमी' सन् 1925 में अपनाया था, उसे किसी भी परिस्थितियों में नहीं छोड़ना है। अंततः सभी को संघ के राष्ट्रीय मार्ग पर आना ही है।

सुदर्शन जी 'स्पष्ट' थे। वे कर्म और विचार के समन्वयक थे। वे केवल विचार नहीं बल्कि 'विचार' के व्यावहारिक ज्ञाता भी थे। वे समय काल परिस्थितियों के 'जनक' थे। वे ज्योतिषी शास्त्र के जहां ज्ञाता थे, वहीं वे अपनी 'छठवीं ज्ञान' की परीक्षा भी ज्योतिषियों के माध्यम से करते रहते थे। वे जिज्ञासु थे। वे उत्सुकता के प्रतीक थे। वे आशा थे। वे प्रायोजित जीवन के नहीं नियोजित जीवन के धनी थे। वे बालबोध थे। उनकी जीवन की रस्सी या डोर में गठानें नहीं आती थीं। वे खुले उदार चित्त के स्वयंसेवक थे।

यह आसान नहीं होता कि जो राजा की स्थिति में हो, और वह राजा रहते हुए प्रजा रूपी जीवन जीने का अचानक निर्णय ले ले। वे भारत के ऐसे सरसंघचालक हुए, जिन्होंने क्राउन (ताज) के लिए संगठन और राष्ट्र को दांव पर नहीं लगाया बल्कि उपयुक्त समय आने पर उसे सुयोग्य व्यक्तित्व को सौंप दिया। अतः जब उनके मन में यह बात आ गई कि 'ताज' उसके सिर पर, जो 'शत–प्रतिशत' कार्य कर सके, तो उसे तत्काल सौंप दिया।

आज राष्ट्रहित में यह है कि 'ताज' छोड़ दो, राजा का पद छोड़ दो और प्रजा बनकर जियो। यह अतुलनीय निर्णय वही कर सकता है जिस आत्मा में परमात्मा का भाव हो और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने की जिजीविषा हो। इस युग में यह कैसे संभव हुआ।

वे 'राजा' थे, पर उन्होंने ''धर दीन्ही चदरिया'' के भाव को जीवित रहते हुए सार्थक किया। हर गुरु सुयोग्य नेतृत्व को तराशता है। चाहे वह रामकृष्ण परमहंस हो, जब उन्हें युवा नरेन्द्र मिला तो उन्होंने उसे तराशा और स्वामी विवेकानंद बना दिया। वहीं समर्थ रामदास को एक सच्चे राष्ट्रभक्त की तलाश थी, जब उन्हें जीजाबाई का बेटा मिला तो उन्होंने उसे छत्रपति शिवाजी बनाने में देर नहीं की। उसी तरह राष्ट्रवाद के सुन्दर दर्शन को जब 'मोहन' रुपी स्वयंसेवक मिले तो उन्होंने उन्हें छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानंद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

ईश्वर ने उन्हें परमपूज्य बनने का अवसर दिया और जब उन्हें लगा कि अब नया परम पूज्य मिल गया तो उन्होंने अपने को भूतपूर्व बनाने में एक क्षण नहीं लगाया।

वे प्रजा के रूप में भी बैठे नहीं रहे। उन्होंने संघ कार्य को जारी रखा। प्रवास चलता रहा। सामान्य व्यक्ति की तरह वे सभी से चर्चा करने लगे। यह विलक्षण गुण उन्हें ईश्वर ने प्रसाद के रूप में दिया था। 'राजा' के ताज को उतार कर 'प्रजा' के जीवन चरित्र धारण कर सबके बीच प्रजाभाव से काम करते रहना यह बिना ईश्वरीय व्यक्तित्व के संभव नहीं। इन्हीं कारणों से लगता है कि उनमें देवांश था। अगर देवांश नहीं होता तो प्रजा के रूप में अपने राजा के कार्य को देखने के लिए वे अखंड प्रवास नहीं करते। वे मूल में 'समाज प्रवर्तक' थे। यह ईश्वर की कृपा ही थी कि वे वहां भी गए, जहां उनके भाई का परिवार यानि मैसूर स्थित उनका पैतृक गांव है। फिर उन्होंने प्राणायाम करते हुए अपना शरीर वहां छोड़ा जिस रायपुर में उनका जन्म हुआ था।

मजेदार मामला है कि वे एक–डेढ़ माह पूर्व वहां भी गए थे जिस जबलपुर में उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। यह संयोग नहीं बल्कि देवांश था परिणाम था कि वे अपने पैतृक गांव भी गए। सबसे मिले भी। उसके बाद शिक्षा स्थान पर भी गए और जिस परिवार का एक–एक सदस्य संघ कार्य में लगा था, उनके कार्यक्रम में गए। वहां पर भी सभी नए पुराने लोग उन्हें मिले। फिर वे वहां गए जहां रायपुर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने शरीर वहीं छोड़ा, जहां ईश्वर ने उन्हें शरीर दिया था। यह सामान्य घटना नहीं है यह तब होता है जब कोई असामान्य होता है। सच में वे असामान्य थे। ❑

भारत-चीन सीमा विवाद एवं सीमा पर निरंतर दबाव की रणनीति

यदि भारत में चीन निर्मित वस्तुओं का उपयोग बन्द होता है तो चीन को, भारत से जो 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा व चीन की सरकार को 30 से 40 हजार करोड़ रुपयों का राजस्व (टैक्स की आय) मिल रहा है, उसमें कमी आएगी और देश का धन देश में रहेगा। यदि भारत सरकार पर चीन के विरुद्ध प्रभावी जन दबाव बनता है तो सरकार चीन को देने वाली व्यापारिक सुविधाओं में कटौति के लिए बाध्य होगी और सीमा–विवाद पर भी कठोर रूख अपनायेगी।

■ डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा

चीन आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व मानवता के लिए एक चुनौती बन कर उभर रहा है। भारत के संदर्भ में हमें सुविदित है कि 1962 में आक्रमण करके चीन ने देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि अधिग्रहित कर ली थी। इसके अतिरिक्त जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें से 5,183 वर्ग किलोमीटर भूमि, पाकिस्तान ने 1963 में चीन को और दे दी थी। उस भूमि के अंतरण के परिणामस्वरूप ही पाकिस्तान एवं चीन के बीच काराकोरम हाईवे निकालना संभव हुआ।

भारत का इतना बड़ा भू–भाग उसके कब्जे में होने के उपरान्त भी, सन 2007 में भारत में चीन के राजदूत ने यह वक्तव्य दे दिया कि भारत ने चीन की 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस बात को हमारे उस समय विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भी 28 फरवरी 2008 को स्वीकार किया था कि चीन इस बात का दावा करता रहा है कि भारत ने उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है।

वस्तुतः 1962 में आक्रमण करने के पूर्व भी चीन ने 1959 में यह आरोप लगाया था कि भारत ने चीन की 1 लाख, 4 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है।

यह 2008 का आरोप भी लगभग वैसी ही आरोप की पुनरावृत्ति है। दुर्भाग्य से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता सीताराम येचुरी ने तो बढ़–चढ़कर यहां तक कह दिया कि हां यह तो एक ऐतिहासिक तथ्य है और जो अपने बिना आबादी वाले निर्जन क्षेत्र हैं उनको चीन को देकर उसके साथ सीमा विवाद हल कर लेना चाहिए।

यह भी एक विडम्बना है कि एक राष्ट्रीय दल का महामंत्री स्तर का व्यक्ति यह कह देता है कि भारत को अपने बिना आबादी वाले क्षेत्र चीन को देकर सीमा विवाद हल कर लेना चाहिए। यह देश–हित की अनदेखी राजनीति का परिणाम है।

दो देशों की सीमा पर भी एक बफर जोन होता है जिसमें कोई भी देश अपनी सीमा चौकियां स्थापित नहीं करता है। लेकिन भारत–चीन सीमा पर चीन बफर क्षेत्र में धीरे–धीरे अपनी सीमा चौकियों को क्रमशः आगे बढ़ाता चला आ रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में तो उसने भारतीय क्षेत्र में एक स्थान पर हैलीपैड भी बना लिया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व लेह–लद्दाख क्षेत्र में भारतीय चरवाहे व

किसान तथा अन्य स्थानीय ग्रामीण भारतीय सीमा में, जहां तक जाते थे, उनका वहां तक जाना भी वह अवरुद्ध कर रहा है। उसके मोटर साईकिल सवार सैन्य अधिकारी आते हैं और ग्रामीणों को धमका कर चले जाते हैं इसलिए ग्रामीण हमारी सीमा के अंदर जहां तक जाते रहे हैं, वहां पर उनका जाना कम हो गया है। इसके साथ ही जैसा हम सबने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि लेह लद्दाख क्षेत्र व अरुणाचल में, विभिन्न स्थानों पर जो हमारी सड़कों का काम चल रहा था, वहां भी उसने दबाव बना कर काम रूकवा दिया है। लेह–लद्दाख क्षेत्र में जो पेगाँगत्से नामक झील है, जिसका 40 प्रतिशत भाग भारत का व 60 प्रतिशत भाग चीन का है। किन्तु आजकल उसने पूरी झील में अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर दी है।

चीन ने हमारे अन्य पड़ौसी देशों के साथ सैन्य संबंध बनाकर बाहर से ही भारत की चारों ओर से घेराबंदी जैसा अभियान चला रखा है। पाक अधिकृत कश्मीर की भूमि से 5183 वर्ग किलोमीटर भूमि जो पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दे दी थी व जहां से काराकोरम हाईवे निकला था, उसी हाईवे पर पाकिस्तान ने चीन को अभी तीन लिंक सड़कें दीं हैं। इससे चीन ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान, ग्वाडर बंदरगाह पर अपना नौ सैनिक अड्डा विकसित किया है।

इसके परिणामस्वरूप अब फारस की खाड़ी, जहां से सम्पूर्ण विश्व को तेल की आपूर्ति होती है और अरब सागर में भी चीन की नौ सेना की उपस्थिति व गतिविधियां बढ़ गयीं हैं, जिससे हिन्द महासागर में भी उसकी नौ सैनिक गतिविधियों की पहुंच हो गई हैं। दूसरी ओर पूर्वी तट की ओर दृष्टिपात करें तो म्यानमार (बर्मा अर्थात् ब्रह्मदेश) में पूरे नदी परिवहन तंत्र को चीनी नौ सेना ने अधिगृहित कर रखा है और म्यानमार के कोको द्वीप पर चीन ने अपना राडार स्थापित कर लिया है। यहां से वह भारत के सम्पूर्ण पूर्वी तट और वहां के सैन्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी कर सकेगा। इसके साथ ही उसने नेपाल में माओवाद के माध्यम से जिस प्रकार अपना वर्चस्व बढ़ाया है उससे, लगभग एक प्रकार से, वहां की संपूर्ण राजनीति का सूत्रधार ही चीन उभर कर आ रहा है।

इसलिए चीन अब तिब्बत से नेपाल के बीच उसके द्वारा 1960 में बनाए कोदरी हाईवे के बाद अब नेपाल को जोड़ने के लिए दूसरा हाईवे और बना रहा है। नेपाल में

चीन ने हमारे अन्य पड़ौसी देशों के साथ सैन्य संबंध बनाकर बाहर से ही भारत की चारों ओर से घेराबंदी जैसा अभियान चला रखा है। पाक अधिकृत कश्मीर की भूमि से 5183 वर्ग किलोमीटर भूमि जो पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दे दी थी व जहां से काराकोरम हाईवे निकला था, उसी हाईवे पर पाकिस्तान ने चीन को अभी तीन लिंक सड़कें दीं हैं। इससे चीन ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान, ग्वाडर बंदरगाह पर अपना नौ सैनिक अड्डा विकसित किया है।

उसने माओवाद पनपाने के लिए जो रणनीति अपनाई थी, लगभग वैसी ही रणनीति भारत में भी माओवाद को बढ़ावा देने के लिए अपना रहा है।

यानि ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य भोले–भाले लोगों को डराना कि तुम हमारे माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर या माओवादी आर्मी जैसे संगठनों में शामिल हो जाओगे तो यहां तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। आगे यह भी कहते है कि तुम्हारे परिवार का कम से कम एक व्यक्ति माओवादी संगठन/ कम्युनिस्ट सेन्टर का सदस्य न बना तो तुम्हारे पूरे कुटुम्ब को उड़ा दिया जाएगा, निरीह व भोले भाले गांव के लोग, जहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, अपने परिवार का एक व्यक्ति उनकी बैठकों में भेजना शुरू कर देते हैं और धीरे–धीरे फिर उस पूरे कुटुम्ब व कबीले के साथ उनका संबंध बढ़ता जाता है।

इसी प्रकार से उन्होंने नेपाल में माओवाद का बढ़ावा दिया था। आज हमारे देश की स्थिति वैसी ही हो रही है। लगभग 150 जिलों में वे इसी प्रकार का माओवादी जाल बिछा रहे हैं। मणिपुर में तो माओवादियों व अन्य अलगाववादियों को प्रशिक्षण देने के लिए चीन प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाता रहा है। बांग्लादश में भी भारत के कई अलगाववादी संगठनों के लोगों को वह सशस्त्र प्रशिक्षण दे रहा है। भूटान के साथ भी भारत की 2004 तक जो संधि थी उसमें से भूटान की सैन्य व्यवस्था एवं उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि उसने भारत पर छोड़ रखे थे। इस संधि का समय पर नवीनीकरण न करने के करण भूटान में भी आजकल चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश में भी उसने चटगांव बंदरगाह पर अपनी नौ सैनिक उपस्थिति बढ़ा ली है एवं वहाँ से भी वह हमारे सम्पूर्ण पूर्वी तट व

उसके नौसैनिक प्रतिष्ठानों पर निगरानी कर रहा है और नौ सैनिक दबाव बढ़ा रहा है। श्रीलंका में तमिलों के दमन हेतु सारे छोटे हथियार और सैन्य विशेषज्ञ चीन ने उपलब्ध कराए थे और आज भी बड़ी संख्या में चीनी सैन्य विशेषज्ञ श्रीलंका में विद्यमान हैं। एक प्रकार से पाकिस्तान से लेकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यानमार और श्रीलंका तक भारत के चारों और उसने संरक्षक और संरक्षित यानि अभिभावक और संरक्षित जैसे संबंध सभी देशों के साथ बना रखे है।

वह पाक को शस्त्रास्त्रों से सज्जित कर रहा है। इसके साथ ही वह जहां कहीं भी मौका मिलता है भारत के विरूद्ध कूटनीतिक युद्ध छेड़ने का भी कोई अवसर नहीं गंवाता है। जैश–ए–मौहम्मद नाम आतंकवादी संगठन का संस्थापक व लश्कर का आतंककारी 'मौलाना मसूद अजहर', जिसे पांच आतंककारियों के साथ कंधार ले जाकर छोड़ा गया था, उसको जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रस्ताव गया तो चीन ने उसका विरोध किया और वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। मौलाना मसूद अजहर में उसकी कोई रूचि नहीं थी लेकिन उसे भारत को आहत करना था, इसलिए उसने वहां पर इस प्रकार का विरोध किया। इस प्रकार चीन आजकल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आहत करने की कूटनीति तथा सीमा पर दबाव बनाकर भारत–चीन संबंधों में तनाव को बढ़ाता ही जा रहा है।

हाल ही में चीन ने भारतीय सीमा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इसके अतिरिक्त उसने अभी 2011 में ही हिन्द महासागर में अपनी नौ सैनिक उपस्थिति बढ़ाने हेतु हमारे आरक्षित आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र तल में खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुन्द्र तल प्राधिकरण से अनुमोदन ले लिया है।

प्रभावी और व्यापक रीति–नीति आवश्यक

चीन के बढ़ते भू–राजनैतिक, आर्थिक व तकनीकी वर्चस्व, सीमा पर बढ़ते दबाव एवं देश के अंदर बढ़ते चीनी कंपनियों के जाल के आलोक में भारत को प्रभावी प्रतिकार की रीति–नीति विकसित करनी चाहिए। चीन ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रा में भी अमेरिका को पीछे छोड़कर क्रमांक एक पर आने के लिए सशक्त पहल की है। इस दृष्टि से भी हमको उपयुक्त व्यूह रचना पर विचार करना होगा।

चीन ने सभी क्षेत्रों में अपनी टेक्नोलॉजी के समुन्नयन के लिए 1.5 ट्रिलीयन डॉलर (75 लाख करोड़ रुपए, जो आज हमारे देश के जीडीपी के बराबर है) का अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी) के लिए प्रावधान किया है जिससे वह प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अमेरिका से आगे निकले। इसलिए भारत को चीन की इस सम्पूर्ण बढ़त को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। दूरसंचार के क्षेत्र में चौथी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में वह अमेरिका से आगे बढ़े इससे पूर्व हमें प्रौद्योगिकी समुन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसके साथ हमें तत्काल पहल करते हुए सबसे पहले तो चीन के उत्पादों का सम्पूर्ण बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिए।

चीनी लैम्प, खिलौने, मोबाइल फोन से लेकर उसके कम्प्यूटर पर्यन्त जितनी आम उपभोक्ता चीजे खरीदते उनके ऊपर हम अंकुश लगा ही सकते है साथ ही यदि जन चर्चाओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों और व्यक्तिगत बातचीत, साक्षात्कार आदि में लोगों को चीन के इन खतरों के प्रति आगाह करते हैं तब एक ऐसा वातावरण बनेगा कि सरकार चीनी कंपनियों को जो नई–नई सुविधाएं दे रही है, बन्द करने को बाध्य होगी। एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि चीन चाहे डब्ल्यू.टी.ओ. को मेम्बर है तब भी चीन नॉन मार्केट इकोनॉमी है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। हमने उसको नॉन मार्केट इकोनॉमी की केटेगरी में रख रखा है। इसलिए डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत दूसरे देशों को जो व्यापार व निवेश की सुविधाएँ देते हैं वे चीन को देना हमारे लिए कतई आवश्यक नहीं है। इसलिए आसानी से सरकार चीनी कंपनियों की हमारे देश में बढ़त को रोकने का अधिकार रखती है। केवल नैतिक बल व राजनीतिक साहस चाहिए जो जनमत के दबाव से ही संभव है।

चीन के कर्मचारी और टैक्नोक्रेट्स जो अवैधानिक रूप से देश में रह रहे है, उनको गिरफ्तार करके डिपॉर्ट करना तो सरकार का दायित्व है। चीनी कंपनियों को बड़ी मात्रा में जो परियोजनाएँ दी जा रही हैं उन पर तो अंकुश लगाया ही जाना चाहिए। इंटरनेट पर फेसबुक से लेकर सभी प्रकार के सोशल नेटवर्क्स हैं, उनके माध्यम के द्वारा जो मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है और अबाध रूप से जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसके आलोक में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आव्हान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है।

अस्तु देश, समाज व विश्व–मानवता के प्रति संवेदनशील जन–मानस को चीन की बढ़त को नियंत्रित रखने हेतु सक्रियता दिखलानी चाहिए। विश्व–मानवता के हितार्थ भारत को अपने वैश्विक दायित्व निर्वहन हेतु आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में विश्व नेतृत्व के अपने वैश्विक दायित्व के प्रति सजगता बढ़ानी होगी। ❑

सही फैसले की गलत व्याख्या

संसाधनों के आवंटन का आधार केवल नीलामी है। अगर आवंटन निजी पक्ष को व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया गया है तो अधिकतम आय के लिए नीलामी की जानी चाहिए। नीलामी और अधिकतम आय के नियम से तभी छूट मिल सकती है जब इसके पीछे सामाजिक और कल्याणकारी उद्देश्य हो। जब आवंटन के पीछे सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य हो, तब भी आवंटन कड़े दिशानिर्देशों के आधार पर हो सकता है और ये दिशानिर्देश अलग–अलग मामलों पर अलग–अलग ढंग से निर्धारित हो सकते हैं।

■ अरुण जेटली

सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रिफरेंस के संदर्भ में अपनी राय स्पष्ट कर दी है। आठ अलग–अलग बिंदुओं पर शीर्ष अदालत की राय मांगी गई थी। इनमें से अधिकांश सवाल 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से उठे हैं, जिनमें अदालत ने कहा था कि चाहे कोई अनुबंध करना हो, लाइसेंस जारी करना हो या

फिर सहायता का वितरण करना हो, सरकार को पारदर्शी तथा उचित पद्धति अपनानी चाहिए ताकि योग्य व्यक्तियों को उचित अवसर मिल सकें। अदालत ने आगे कहा था कि जब स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का मामला हो तो राज्य यह सुनिश्चित करे कि आवंटन में भेदभाव रहित पद्धति अपनाई जाए। अदालत की सलाह है कि सही ढंग से प्रचारित नीलामी प्राकृतिक संसाधनों के वितरण की सही पद्धति है। पहले आओ, पहले पाओ जैसी नीतियों का निजी उद्यमी दुरुपयोग कर सकते हैं।

अदालत ने व्यापक प्रचारित नीलामी प्रक्रिया अपनाने को सरकार का कर्तव्य बताया है। इस संदर्भ में अदालत से आठ सवालों पर सलाह मांगी गई थी। अदालत ने दो सवालों पर सलाह दी है। मुख्य सलाह चार जजों की पीठ की ओर से जस्टिस डीके जैन ने दी है और दूसरी सलाह व्यापक सहमति के आधार पर जस्टिस जेएस खेहर ने जारी की है।

मुख्य सलाह केवल इस सवाल तक सीमित है कि क्या प्राकृतिक संसाधनों के निष्पादन का आधार केवल नीलामी ही हो सकती है? इसमें 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से जुड़े अन्य उप सवालों का जवाब नहीं दिया गया है।

अदालत ने सरकार द्वारा दी गई रियायतों के संदर्भ में स्पेक्ट्रम फैसले में दखलंदाजी न करने का फैसला किया। भारत में समता के अधिकार का विस्तार 1974 में हुआ जब रोयप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए समता को सीमाओं के बंधन से मुक्त कर दिया था। हमारे दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने कोयला खदानों के आवंटन और इस संबंध में कोर्ट में लंबित मामले पर 26 अगस्त को टिप्पणी की थी कि कोयला खदानों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया से दुर्गंध आ रही है। इससे एक वृहत्तर सवाल उठता है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन कैसे करे?

एक दिशाहीन सरकार, जो नीतिगत अपंगता से ग्रस्त है, ने इसी बड़े सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगी थी। प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है। नीति निर्धारण करना कार्यपालिका का कार्य है, न्यायपालिका का नहीं। अदालत केवल यह निर्धारित कर सकता है कि नीति मनमानी या असंवैधानिक तो नहीं है, अदालत नीति निर्धारण नहीं कर सकती। किन प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी होनी चाहिए और किन संसाधनों

जस्टिस खेहर ने सलाह दी है कि एक जनहित, कल्याणकारी उद्देश्य को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और तटस्थ मापदंड या प्रक्रिया का निर्धारण होना चाहिए। इसके बाद जज ने कोयला खदान मामले पर टिप्पणी की कि कोयला खदानों के आवंटन में नीलामी के अलावा कोई और प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की सलाह 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदान आवंटन में सरकार के फैसलों के खिलाफ है। फिर भी कुछ मंत्री इस फैसले को कैग पर सरकार की जीत बताते फिर रहे हैं।

को वैकल्पिक उचित आधार पर आवंटित करना चाहिए, इसका फैसला सरकार को लेना चाहिए। अदालत ऐसा संस्थान है जो सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर सरकार ऐसी नीति अपनाती है जो भ्रष्टाचार की बाढ़ ले आए तो अदालत उस नीति को खारिज कर सकती है।

अदालत की मुख्य सलाह फैसले के 148 और 149 पैराग्राफ में व्यक्त की गई है। पैरा 148 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी राय में प्राकृतिक संसाधनों की बेहतर पद्धति होने के बावजूद प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है और इसलिए नीलामी के अलावा किसी अन्य पद्धति को संवैधानिक आदेश का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

पैरा 149 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आवंटन की नीलामी की पद्धति को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सकता। प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन एक नीतिगत फैसला है और इसके लिए कायदे कानून बनाना कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। हालांकि जब इस प्रकार के फैसले के पीछे सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य न हो और बहुमूल्य व दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को व्यापारिक प्रयोजन के लिए और लाभ बढ़ाने के लिए निजी उद्यमियों के पक्ष में आवंटित कर दिया जाता है तो प्रतिस्पर्धी व आय में वृद्धि करने वाले उपायों के इतर अन्य कोई भी पद्धति स्वेच्छाचारी है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 के कोप की भागी है।

इसलिए किसी पद्धति को निर्धारित करने के बजाय हमारा मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की पद्धति की न्यायिक पड़ताल केस विशेष की परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर हो सकती है और इसका आधार वे सिद्धांत होंगे जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। इन सिद्धांतों के पालन में विफलता पर अदालत अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कर कार्यपालिका की कार्यवाही को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्वेच्छाचारी, अनुचित, अकारण और मनमाना करार दे सकती है।

इस सलाह के मायने हैं कि ऐसी कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है कि संसाधनों के आवंटन का आधार केवल नीलामी है। अगर आवंटन निजी पक्ष को व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया गया है तो अधिकतम आय के लिए नीलामी की जानी चाहिए। नीलामी और अधिकतम आय के नियम से तभी छूट मिल सकती है जब इसके पीछे सामाजिक और कल्याणकारी उद्देश्य हो। जब आवंटन के पीछे सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य हो, तब भी आवंटन कड़े दिशानिर्देशों के आधार पर हो सकता है और ये दिशानिर्देश अलग–अलग मामलों पर अलग–अलग ढंग से निर्धारित हो सकते हैं।

कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह को कैग के खिलाफ सरकार की जीत के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है, जिसने 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों में सरकारी नीतियों के कारण निजी पक्षों को भारी लाभ और सरकार की आय में भारी कमी को रेखांकित किया था। क्या ये दोनों आवंटन विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किए गए थे? क्या सरकार ने मनमाने ढंग से नीति निर्धारित नहीं की और इस कारण राजकोष को भारी चपत नहीं लगी?

दूसरी सलाह में जस्टिस खेहर ने नीलामी के इतर सामाजिक व कल्याणकारी उद्देश्य के लिए होने वाले आवंटनों के अधिकारों का सीमांकन किया है। सलाह में अंदेशा प्रकट किया गया है कि मामले दर मामले के आधार पर आवंटन का मतलब सूटकेस दर सूटकेस हो सकता है।

जस्टिस खेहर ने सलाह दी है कि एक जनहित, कल्याणकारी उद्देश्य को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और तटस्थ मापदंड या प्रक्रिया का निर्धारण होना चाहिए। इसके बाद जज ने कोयला खदान मामले पर टिप्पणी की कि कोयला खदानों के आवंटन में नीलामी के अलावा कोई और प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की सलाह 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदान आवंटन में सरकार के फैसलों के खिलाफ है। फिर भी कुछ मंत्री इस फैसले को कैग पर सरकार की जीत बताते फिर रहे हैं। ❑

क्या संवैधानिक संस्थाओं को सरकार के अनुकूल ही रिपोर्ट देनी चाहिए?

यह तो उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार शरीर में भंयकर बीमारी को भारी कम्बल से अच्छी प्रकार ढ़क दिया जाये और बीमारी की कोई चिकित्सा ही न करवायी जाय। इससे व्यक्ति एक न एक दिन तो शीघ्र ही परलोकवासी होगा ही। इसलिए देश को परलोकवासी होने से बचाने के लिए देश को निष्पक्ष, सशक्त, न्यायप्रिय संवैधानिक संस्था सीएजी की बहुत ही आवश्यकता है तभी देश का लोकतंत्र भी मजबूत हो सकेगा और देश के 35 करोड़ गरीब लोग गरीबी की रेखा को लांघ कर भरपेट भोजन प्राप्त कर सकेगें।

■ **डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल**

देश में स्वतंत्रता के बाद से ही संविधान के अंतर्गत कुछ संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया गया जो कि स्वंतत्र रूप से अपना कार्य करती रहती है और सरकारी कार्यों पर निगरानी करती रहती है जिससे आम आदमी के हितों व लोकंतत्र की रक्षा की जा सके। इन संस्थाओं की एक सतत् प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है और सरकार में किसी भी राजनीतिक दल के आने व जाने का इन संवैधानिक सस्थाओं के क्रिया कलापों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।

परन्तु यही संवैधानिक सस्थाऐं सरकार की आंखों में किरकिरी साबित होती है जब वे सरकार की संस्कृति, नीयत, इच्छा, रीति व लाभ के अनुकूल अपनी रिपोर्ट व निर्णय नहीं देती है।

देश के चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष टी एन शेषन जब देश में निष्पक्ष व भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव कराने को कटिबद्ध हुए तो सरकार के साथ–साथ प्रमुख राजनीतिक दलों की आंखों की किरकिरी ही साबित हुए परन्तु टी एन शेषन ने पराजय को स्वीकार नहीं कर व हजार दबाबों को झेलते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया और चुनाव सुधार की उनके द्वारा चलाई प्रक्रिया चल पड़ी तथा इस प्रक्रिया में सुधार अब निरन्तर हो रहे है। जहां आम आदमी अपना वोट डालने में घबराता था और चुनाव आयोग का नाम तक भी नहीं जानता था बदलते समय में अब आम आदमी चुनाव संबंधी गड़बड़ी होने पर सीधे चुनाव आयोग को फोन व फैक्स करता है व गड़बड़ी का निदान करवा लेता है। इससे चुनावों का महत्व अब आम व अनपढ आदमी की भी समझा में आने लगा है और गत चुनावों में

देश के चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष टी एन शेषन जब देश में निष्पक्ष व भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव कराने को कटिबद्ध हुए तो सरकार के साथ–साथ प्रमुख राजनीतिक दलों की आंखों की किरकिरी ही साबित हुए परन्तु टी एन शेषन ने पराजय को स्वीकार नहीं कर व हजार दबाबों को झेलते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया और चुनाव सुधार की उनके द्वारा चलाई प्रक्रिया चल पड़ी तथा इस प्रक्रिया में सुधार अब निरन्तर हो रहे है।

वोट प्रतिशत बढ़ना इसका जीता जागता उदाहरण है।

इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था तो इंदिरा गांधी ने देश में आपात काल की ही घोषणा कर उच्च न्यायालय को सबक सिखाने की ठान ली थी।

वर्तमान में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने (यू.पी. पावर कारपोरेशन लि. बनाम राजेश गुप्ता व अन्य 27.04.12)के मुकदमें में अपने द्वारा दिये बिल्कुल स्पष्ट निर्णय में पदोन्नतियों में आरक्षण पर रोक लगा दी तो सरकार व राजनीतिक दलों के द्वारा बहुत बुरा माना गया तथा न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए पांच मिनट में इस निर्णय को बदलने की कूबत, शक्ति व सर्वोच्चता को दिखाते हुए लगभग सभी सांसदों ने संसद में धड़ाधड़ इस विधेयक को पारित करवाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी।

इसी प्रकार अब कोयला खदान आवंटन पर नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक (सीएजी–कैग) की रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष असहज हो गया और सीएजी की रिपोर्ट को ही झूठा व गलत साबित किया जाने लगा तथा सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था पर सरकार के मंत्रियों के द्वारा दिल खोल कर कीचड़ उछाला जाने लगा व सीएजी को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाने लगी। जब पांच लाख से ज्यादा कर्मचारियों व अधिकारियों वाले इस संस्था में इस प्रकार की झूठी व गलत रिपोर्ट तैयार की जाती है तो बेहतर है कि इस सीएजी को सदा सदा के लिए ही बंद कर देना चाहिए। क्यों सरकार जनता के गाढे पसीने की कमाई के करोडों रुपये की धनराशि को सीएजी पर व्यय कर झूठी व गलत रिपोर्ट हासिल कर रही है।

यदि सीएजी किसी कर्मचारी व अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार की रिपोर्ट पेश करती है तो उस कर्मचारी व अधिकारी को तुरंत नौकरी से बेदखल कर उस पर धोखाधड़ी, अकर्मण्यता व गबन और न जाने कौन कौन से आरोप लगा कर उस पर मुकदमा चलाया जाता और उसकी बुढ़ापे की पैन्शन का भुगतान करने से भी रोक लगा दी जाती।

वर्तमान में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने (यू.पी. पावर कारपोरेशन लि. बनाम राजेश गुप्ता व अन्य 27.04.12)के मुकदमें में अपने द्वारा दिये बिल्कुल स्पष्ट निर्णय में पदोन्नतियों में आरक्षण पर रोक लगा दी तो सरकार व राजनीतिक दलों के द्वारा बहुत बुरा माना गया तथा न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए पांच मिनट में इस निर्णय को बदलने की कूबत, शक्ति व सर्वोच्चता को दिखाते हुए लगभग सभी सांसदों ने संसद में धड़ाधड़ इस विधेयक को पारित करवाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी।

केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री पवन बंसल ने सीएजी की ही विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीएजी के आंकड़े बेबुनियाद है जिन्हें आधार बना कर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही है। कोयला आवंटन में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में खामियां है।

रिपोर्ट तैयार करते वक्त न तो सीएजी ने कोयला की श्रेणी और न ही निर्धारित समय को ध्यान में रखा है। आवंटन प्रक्रिया के कई नियमों को आधार बनाए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर दी। यह रिपोर्ट बेबुनियाद व तथ्यहीन ही है। मंत्री पवन बंसल को भाजपा के द्वारा संसद न चलने देने पर हुए करोडों रुपयों की तो चिन्ता है परन्तु आवंटन में देश को हुए 2 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की चिन्ता उन्हें कतई नहीं है।

भाजपा अगर झूठ बोल रही है तो उस पर संसद न चलने देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायाणसामी ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा कांग्रेस के प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछाल रही है तथा संसद की कार्यवाही को न चलने देने पर करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है।

नारायणसामी के अुनसार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनावों के सन्निकट होने के कारण कोयला ब्लाक आवंटन के मुद्दे को राजनीतिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जोहरा चटर्जी की अगुवाई में अंतरमंत्रालयी समूह बनाया है जो आवंटन में खामियों का पता लगायेगा और आगे के लिए कदम सुझाएगा (कहने का मतलब यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने अधिनस्थ कर्मचारी व समूह से अपने पक्ष में रिपोर्ट लिखवायेंगे न कि सीएजी पर गलत रिपोर्ट देने पर कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे)।

वही भाजपा ने कोयला आवंटन को लेकर तथाकथित राजनीति करते हुए

महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से गुहार लगाई है कि वे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की ओर से सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था पर प्रहार करने के मामले में दखल देवें। भाजपा की इस कार्यवाही को कांग्रेस ने बोफोर्स विरोधी अनावश्यक मुहिम जैसी बताया। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि घोटालों के कारण कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है।

कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1985 – 90 के बीच बोफोर्स के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर राजीव गांधी के विरुद्ध मुहिम चलायी गई थी तब विदेशी पत्र व पत्रिकाओं में लेख भी प्रकाशित किये गये थे।

आज भी वैसा ही वातावरण तैयार किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री गुलाम नवी आजाद ने तर्क दिया कि सीएजी की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि सरकार या प्रधानमंत्री ने कोयला आवंटन में पैसे बनाये है बल्कि यह कहा गया है कि अगर ऐसा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए किया गया होता तो शासन को अधिक लाभ मिलता अर्थात उनकी नजर में सरकार को होने वाले लाभ से उनका कोई मतलब नहीं अर्थात सरकार की हानि कोई हानि नहीं होती है।

अन्ना हजारे की टीम के प्रशांत भूषण एडवोकेट ने मांग की कि 2 जी स्पैक्ट्रम आवंटन की तर्ज पर कोयला ब्लाक आवंटन को रद्द कर स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए।

अब इतना तो निश्चित हो चुका है कि सीएजी की रिपोर्ट से सरकार पर कोयले की कालिख पुत चुकी है। कोयला खदान आवंटन एवम् दिल्ली हवाई अड्डा को विकसित करने का ठेका डायल कम्पनी को देने में देश की सम्पदा की खुली लूट के उजागर होने से साफ है कि कांग्रेस के डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में बने

यदि सरकार व सत्ता पक्ष ही सीएजी जैसी प्रमुख व महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की गरिमा की परवाह नहीं करेंगी तो फिर आम आदमी क्या सोचेगा? इससे तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ सकता है। यदि संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट सरकार व सत्तापक्ष के फायदे के लिए होती तो वह सही, वरना तो वही रिपोर्ट काल्पनिक व गलत। कांग्रेस सत्ता में आते ही संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करना शुरु कर देती है। संकीर्ण राजनैतिक लक्ष्यों से सीएजी पर हमले नहीं होने चाहिए।

रहने का नैतिक हक निरन्तर होते बड़े–बड़े घोटालों के कारण अपनी साख गँवाती जा रही है।

सीएजी ने संप्रग सरकार की पोल खोल दी है। दिनांक 17 अगस्त 2012 दिन शुक्रवार को संसद में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार मनमानी नीतियों के चलते कोयला खादानों के आंवटन में सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड रुपये का चूना लगा है। यह आवंटन नीलामी की बजाय सीधे आवेदन प्राप्त करके किया गया था।

सीएजी की रिपोर्ट के अुनसार इस आवंटन से 25 निजी कम्पनियों को लाभ हुआ जिसमें एस्सार पावर, हिडांल्कों इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टाटा पावर, रिलाइंस पावर, जिंदल स्टील एंड पावर कम्पनियां प्रमुख है। अनिल अंबानी की रिलाइंस पावर को 29,033 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ है।

सीएजी ने दिल्ली हवाई अड्डे के बारे में खुलासा किया जिसमें नागर विमान मंत्रालय की निविदा शर्त की अनदेखी के चलते जीएमआर की कम्पनी डायल को यात्रियों पर विकास शुल्क लगाने देने से 3,415 करोड रुपये से अधिक का लाभ हुआ। दिल्ली हवाई अड्डे की जमीन को डायल कम्पनी को मात्र 100 रुपये सालाना की दर पर 60 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया गया है। इस जमीन से डायल लगभग 1 लाख 63 हजार करोड़ रुपये की संभावित कमाई करेगी।

ऐसे खुलासे करना तथा आर्थिक समझौतें व लेनदेन के बारे में हुई नियमों की अवहेलना व अनुचित तरीकों का खुलासा करना ही सीएजी का काम है। यदि देश के लेखों की निगरानी न हो तो सरकार, उसके मंत्री व अधिकारी मनमाना व्यवहार करके देश को दरिद्रता के रसातल में ही डुबो देवें। परन्तु सीएजी के इस भंड़ाफोड़ करने के इस काम से सरकार को मिर्ची लग गई है।

राज्य मंत्री नारायणसामी ने कहा कि सरकारी ऑडिटर (सीएजी) अपने अधिकार क्षेत्र में रह कर काम नहीं कर रहा है। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि सरकार कोयला खानों के आवंटन में सीएजी के आकलन से सहमत नहीं है। इससे पूर्व भी दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल जैसे कानूनविद् ने सीएजी की रिपोर्ट को उस समय नकार दिया था जब सीएजी ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का आवंटन कर दिया था। क्या सीएजी की रिपोर्ट को नकार देने मात्र से सरकार का (1.86 (कोयला) +1.63 (दिल्ली हवाई अड्डा) +1.76 (स्पेक्ट्रम) कुल मिला कर 5.25 लाख करोड रुपये) भ्रष्टाचार छिप जाता है। क्या सरकर सीएजी को डरा धमका कर अपनी

जिम्मेदारी से बच सकती है। कोयले का मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जोड कर देखा जा रहा हैं सभी मामलों में सरकारी नीतियों के कारण राष्ट्रीय सम्पदा की जमकर लूट हुई है। सभी मामलों में खुल कर नीलामी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। मात्र कुछ ही कम्पनियों को सरकारी संसाधन मनमाने दाम पर दे दिये गये।

इस सब गोरखधंधे में एक महागोरखधंधा और भी छिपा हुआ है। वह है लाईसेंस लेकर बेच देना। चालीस से अधिक कम्पनियों की चांदी हो गई उन्हें लाईसेंस मिले और वे उन्हें बेचने को तैयार हो गये। पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण की अनदेखी करके उस क्षेत्र के भी खनन लाईसेंस दे रहा है जिस क्षेत्र में खनन नहीं होना चाहिए। कोयले की खनन के लाईसेंस उन कम्पनियों को भी दे दिये गये जो मिनरल वाटर को बोतलों में भरते है, बनियान बनाते है, तम्बाकू गुटखा बनाते है, संगीत का काम करते है। दो दर्जन से अधिक कम्पनियों को न तो पावर सेक्टर का कोई अनुभव है और न ही खदान से कोयला निकालने का कोई अनुभव है।

बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, गोवा, उड़ीसा सहित नौ राज्यों ने व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कोयला खदानों का लाईसेंस लिया है प्रत्येक राज्य खदानों को या फिर कोयले को उन कम्पनियों या कार्पोरेट घरानों को बेच रहा है जिन्हें कोयले की आवश्यकता है। लाईसेंस लेकर उसको बेचने के गोरखधंधे पर भी अंकुश लगना चाहिए।

सत्ता पक्ष ने सीएजी के प्रमुख विनोद राय पर राजनैतिक लाभ लेने का आरोप भी लगाया है। सत्ता पक्ष (कांग्रेस) यह मानता है कि विनोद राय ने अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा के चलते इस सारे मामले को सनसनीखेज बना दिया है। यह एक घिनौना आरोप है। क्योंकि विनोद राय भी स्वीकृत अंकेक्षण के नियम व सिद्धांतों, लेखाविधि की स्वीकृत अवधारणाओं व लेखाविधि की स्वीकृत विधि के अंतर्गत ही कार्य करते है। उन्हें नियम व कानून से मतलब है न कि सरकार के किसी पूर्वाग्रही रीति व नीति से। वोटों के गणित से उनका (विनोद राय व सीएजी) का कोई मतलब नहीं होता है।

कांग्रेस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सशक्त उपाय क्यों नहीं कर रही है? क्या लूट, संसाधनों का दुरपयोग, सरकार को हो रही हानि को अनदेखी करता हुआ मात्र सरकारी कठपुतली की तरह सीएजी सदैव सरकार के पैरोकार के रूप में सरकार के पक्ष में ही सदैव रिपोर्ट पेश करती रहे?

यदि सरकार व सत्ता पक्ष ही सीएजी जैसी प्रमुख व महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की गरिमा की परवाह नहीं करेंगी तो फिर आम आदमी क्या सोचेगा? इससे तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ सकता है। यदि संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट सरकार व सत्तापक्ष के फायदे के लिए होती तो वह सही, वरना तो वही रिपोर्ट काल्पनिक व गलत। कांग्रेस सत्ता में आते ही संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करना शुरु कर देती है। संकीर्ण राजनैतिक लक्ष्यों से सीएजी पर हमले नहीं होने चाहिए।

इस पूरे प्रकरण में महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि वे अब संविधान के संरक्षक है तथा संवैधानिक संस्था स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से अपने अपने कार्य कर आम आदमी के हितों की रक्षा कर सकें– इस बात को अब राष्ट्रपति ही भली प्रकार देख सकते है। तभी लोकतंत्र मजबूत हो सकेगा। अब तक हुए घोटालों में लाखों करोड़ रुपये के देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट कब तक जारी रहेगी तथा देश का आम आदमी कब तक गरीब का गरीब बना रहेगा? इन सब घोटालों से हुई हानि से आम आदमी बहुत बढ़िया व बेहतर जिन्दगी जी सकता था। अब यदि अन्ना हजारे व बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के विरुद्ध सशक्त आवाज उठा कर देश की संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की बात करते है तो क्या कोई गलत व राष्ट्रद्रोही बात करते है। परन्तु कांग्रेस की आंखों की किरकिरी वे लोग बन जाते है जो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते है। कांग्रेस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सशक्त उपाय क्यों नहीं कर रही है? क्या लूट, संसाधनों का दुर्पयोग, सरकार को हो रही हानि को अनदेखी करता हुआ मात्र सरकारी कठपुतली की तरह सीएजी सदैव सरकार के पैरोकार के रूप में सरकार के पक्ष में ही सदैव रिपोर्ट पेश करती रहे?

यह तो उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार शरीर में भंयकर बीमारी को भारी कम्बल से अच्छी प्रकार ढ़क दिया जाये और बीमारी की कोई चिकित्सा ही न करवायी जाय। इससे व्यक्ति एक न एक दिन तो शीघ्र ही परलोकवासी होगा ही। इसलिए देश को परलोकवासी होने से बचाने के लिए देश को निष्पक्ष, सशक्त, न्यायप्रिय संवैधानिक संस्था सीएजी की बहुत ही आवश्यकता है तभी देश का लोकतंत्र भी मजबूत हो सकेगा और देश के 35 करोड़ गरीब लोग गरीबी की रेखा को लांघ कर भरपेट भोजन प्राप्त कर सकेगें। ❑

अपनी जमीन का सवाल

पदयात्रा भूमि–सुधारों के जन–सत्याग्रह के तहत की जा रही है। इस आंदोलन की मांग है कि भूमि सुधार के भुला दिए गए एजेंडे को सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास नीतियों के केंद्र में लाया जाए, भूमिहीनों को भूमि दी जाए और किसानों को भूमिहीन बनने से रोका जाए। विशेष तौर पर आदिवासियों की भूमि हकदारी का मुद्दा इसमें अधिक मजबूती से उठाया गया है।

■ भरत डोगरा

3 अक्टूबर को ग्वालियर से एक विशाल जन–समूह की पदयात्रा आरंभ हुई। 60 हजार से अधिक पदयात्रियों के इस कारवां में आगे चलकर एक लाख लोगों तक के जुड़ने की उम्मीद है। 26 दिनों में लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय कर यह विशाल जनसमूह दिल्ली पहुंचेगा।

यह पदयात्रा भूमि–सुधारों के जन–सत्याग्रह के तहत की जा रही है। इस आंदोलन की मांग है कि भूमि सुधार के भुला दिए गए एजेंडे को सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास नीतियों के केंद्र में लाया जाए, भूमिहीनों को भूमि दी जाए और किसानों को भूमिहीन बनने से रोका जाए। विशेष तौर पर आदिवासियों की भूमि हकदारी का मुद्दा इसमें अधिक मजबूती से उठाया गया है।

इसकी एक वजह यह भी है कि जन–सत्याग्रह में एकता परिषद की सबसे प्रमुख भूमिका है और इस जन–संगठन का आदिवासी क्षेत्रों में अधिक व्यापक आधार है। इससे पहले कई पदयात्राओं के दौरान मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा आदि राज्यों में एकता परिषद की निर्धन वर्ग और आदिवासियों की भूमि हकदारी संबंधी मांगों को राज्य सरकारों ने स्वीकार किया था। इससे कई परिवारों को राहत भी मिली थी, लेकिन साथ ही नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के इस दौर में किसानों और आदिवासियों की भूमि छिनने की प्रक्रिया लगातार और तेज होती गई। सेज (विशेष आर्थिक जोन) जैसे नए कानून बनने से इस प्रक्रिया को बढ़ावा मिला।

इस स्थिति में भूमि सुधारों को अधिक व्यापक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए एकता–परिषद ने 2007 में जनादेश नाम का एक आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत

25,000 निर्धन वर्ग के प्रतिनिधियों ने ग्वालियर से दिल्ली तक की पदयात्रा की। थके हुए यात्री दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे तो सरकार से वार्ता में तेजी आई। सरकार ने उस समय कई वादे तो कर दिए, पर उन्हें पूरा नहीं किया। यहां तक कि भूमि सुधार परिषद की कोई मीटिंग भी ठीक से नहीं की गई।

केंद्र सरकार की इस लापरवाही से परेशान होकर एकता परिषद ने और भी व्यापक स्तर के आंदोलन जन–सत्याग्रह की तैयारी शुरू कर दी। पहले देश के लगभग 350 जिलों में जन–संवाद यात्राएं की गई। व्यापक स्तर पर जनसंपर्क किया गया और अहिंसक बदलाव में विश्वास रखने वाले लगभग 2000 जन–संगठनों का सहयोग हासिल किया गया।

उसके बाद ही दूसरी ग्वालियर दिल्ली पदयात्रा शुरू हुई है। यह निर्विवाद सत्य है कि नव–उदारवाद की आर्थिक नीतियों के दो दशकों में भूमि–सुधारों की उपेक्षा हुई है, इन्हें पीछे झकेला गया है। यह कड़वी सच्चाई कई सरकारी दस्तावेजों में भी स्वीकार की जा रही है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में योजना आयोग ने कहा है कि भूमि पुनर्वितरण के संदर्भ में नौवीं योजना के अंत में स्थिति वही थी जो योजना के आरंभ में थी। दूसरे शब्दों में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में कोई प्रगति ही नहीं हुई।

यह दस्तावेज स्पष्ट कहता है कि छपाई गई भूमि का पता लगाने और उसे ग्रामीण भूमिहीन निर्धन परिवारों में वितरण करने में कोई प्रगति नहीं हुई। यही नहीं, आगे यह दस्तावेज स्वीकार करता है, 1990 के दशक के मध्य में लगता है कि भूमि–सुधारों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया।

हाल के समय में राज्य सरकारों की पहल इससे संबंधित रही है कि भूमि कानूनों का उदारीकरण हो, ताकि बड़े पैमाने की कॉरपोरेट कृषि को बढ़ावा मिल सके। भूमि सुधारों का यह पक्ष हमेशा से ही सबसे महत्वपूर्ण रहा है कि भूमिहीन ग्रामीण परिवारों विशेषकर खेतिहर मजदूर परिवारों में भूमि वितरण किया जाए।

यह उद्देश्य आज भी सबसे महत्वपूर्ण है कि भूमिहीन को किसान बनाया जाए, पर इसके साथ ही यह नया खतरा तेजी से बढ़ने लगा है कि बहुत से किसानों की भूमि छिनने की स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो रही है। इन पर रोक लगाना भी बहुत जरूरी है। इस तरह भूमि–सूधारों का यह दो तरफा एजेंडा है कि भूमिहीन को किसान बनाया जाए और किसान को भूमिहीन बनने से रोका जाए।

कुल मिलाकर लगभग 2–3 करोड़ तक भूमिहीन व सीमान्त किसान परिवारों को कृषि–भूमि और आवास–भूमि वितरण की सम्यक योजना बनानी चाहिए। एक परिवार को औसतन कम से कम दो एकड़ भूमि अवश्य मिलनी चाहिए। इसके साथ ही लघु सिंचाई, भूमि व जल संरक्षण, भूमि समतलीकरण संबंधी सहयोग मिलना भी जरूरी है। तभी वे सफल किसान बन सकेंगे। इसके अलावा गांववासियों के जल संसाधनों की रक्षा करते हुए जल–जंगल और जमीन की समग्र सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

जरूरतमंद लाखों परिवारों को कृषि भूमि सुनिश्चित करवाने का एक अतिमहत्वपूर्ण कार्य सरकार तुरंत कर सकती है, यदि वह वन अधिकार कानून के भटकाव को रोककर इसका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित कर दे। यह कानून तो पहले ही बन चुका है, सरकार को तो बस इतना करना है कि इसका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कर दे। दूसरी ओर किसानों को भूमिहीन बनने से रोकने के प्रयास भी बराबरप रूप से जरूरी हैं।

जन–सत्याग्रह राष्ट्रव्यापी स्तर का ऐसा प्रयास है, जिससे भूमि–सुधारों के उपेक्षित एजेंडे को नवजीवन मिल सकता है। इसमें समग्रता से भूमिहीनों, आदिवासियों, किसानों, मछुआरों, घुमंतुओं, शहरी आवासहीनों और हाशिए पर धकेले गए समुदायों की जरूरी मांगों को समाहित किया गया है। साथ में महिला किसानों की समान हकदारी को भी बुलंद किया है।

आज कुछ स्थानों पर किसानों की उपेक्षा और छोटे किसानों के हितों के प्रतिकूल नीतियों की मार इतनी बढ़ गई है कि उनका जीना मुहाल हो गया है। इसलिए छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां अपनाकर इन किसानों की आजीविका की रक्षा अवश्य ही की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त सरकार को उन कानूनों को बदलना चाहिए जो किसानों को उपजाऊ भूमि से वंचित करने में अन्यायपूर्ण साबित हुए हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्यायपूर्ण पक्षों को बदलने की जरूरत सरकार ने खुद स्वीकार की है।

सेज या विशेष आर्थिक क्षेत्र के कानून पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसी तरह वन्य जीव संरक्षण जैसे कानून में इस तरह बदलाव होना चाहिए ताकि किसान विस्थापित होने के बजाय वन्य जीवन संरक्षण से जुड़ सकें।

भूमि–सुधारों को हमारे देश में अपेक्षित सफलता न मिल पाने का एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि जब भूमिहीन अपने अधिकारों की आवाज उठाते हैं तो उन पर बड़े भूस्वामी वर्ग के साथ–साथ पुलिस–प्रशासन का रवैया भी अक्सर दमन–उत्पीड़न का ही रहता है।

सरकार को इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कड़े निर्देश जारी करने चाहिए कि भूमि सुधारों संबंधी या इससे मिलती–जुलती मांगों के लिए जो भी आंदोलन करते हैं, उनके प्रति दमन की नीति नहीं अपनानी चाहिए।

जन–सत्याग्रह राष्ट्रव्यापी स्तर का ऐसा प्रयास है, जिससे भूमि–सुधारों के उपेक्षित एजेंडे को नवजीवन मिल सकता है। इसमें समग्रता से भूमिहीनों, आदिवासियों, किसानों, मछुआरों, घुमंतुओं, शहरी आवासहीनों और हाशिए पर धकेले गए समुदायों की जरूरी मांगों को समाहित किया गया है। साथ में महिला किसानों की समान हकदारी को भी बुलंद किया है। इस प्रयास को व्यापक समर्थन मिलना चाहिए।❑

रपट

जन स्वास्थ्य पर विदेशी कंपनियों का हमला

बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक षड़यंत्र के तहत सस्ती दवायें बनानी वाली स्वदेशी कंपनियों को अधिग्रहण कर मूल्य वृद्धि का खेल खेलने की तैयारी कर चुकी है। हमें इनके षड़यंत्रों को समझना होगा और उन कंपनियों के खिलाफ खड़ा होना होगा तब ही हम जन स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। — मनोज कुमार सिंह

स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर के द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2012 को 'जन स्वास्थ्य पर विदेशी कंपनियों का हमला' विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन स्थानीय चैम्बर भवन बिष्टुपुर में किया गया। गोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री सुबोध कुमार, अनुमंडलाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. मिथिलेश कुमार और अरविन्द प्रसाद ने संयुक्त रूप से भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किया।

अपने उद्बोधन में श्री सुबोध कुमार ने कहा कि मानव का सबसे अनमोल चीज उसका स्वास्थ्य है इसीलिए मानव को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा इस प्रकार के गोष्ठी का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का यह कार्य प्रशंसनीय रहा।

डॉ. मिथिलेश ने कहा कि हमको जागरूक होना होगा और इस प्रकार के षड़यंत्र के खिलाफ खड़ा होना होगा। अरविन्द प्रसाद ने भी स्वदेशी के प्रयास को सार्थक तथा स्वदेशी चिकित्सा पद्धति अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में मुख्यवक्ता के तौर पर बोलते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मनोज कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार के गलत निर्णय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साजिश के चलते बहुत जल्द दवाईयां अब आम आदमी के पहुंच से बाहर होने वाली है।

हमें इनके षड़यंत्र को समझना होगा और देशी कंपनियों को (जो सस्ती दवाएं) बनाती है उसको बचाना होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक षड़यंत्र के तहत सस्ती दवायें बनानी वाली स्वदेशी कंपनियों को अधिग्रहण कर मूल्य वृद्धि का खेल खेलने की तैयारी कर चुकी है। हमें इनके षड़यंत्रों को समझना होगा और उन कंपनियों के खिलाफ खड़ा होना होगा तब ही हम जन स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी नोवार्टिज ब्लड कैंसर की दवा बनाती है जिसका एक महीने के खुराक पर रोगी को 1 लाख 20 हजार रूपये खर्च करने पड़ते हैं। जबकि वही प्रभाव वाली दवा हैदराबाद की कंपनी नाटको दस हजार रूपये से कम में एक महीने की दवा उपलब्ध कराती है।

उसी प्रकार से जर्मनी की एक कंपनी बायर है जो लिवर कैंसर की दवा बनाती है जिसका 120 टैबलेट की कीमत 2 लाख 80 हजार रूपये होता है। वही प्रभाव वाली दवा हमारे देश की कंपनी 6 हजार 8 सौ अस्सी रूपये में उपलब्ध कराती है।

अगर बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां हमारे देश के इन दवा निर्माता कंपनियों को अधिग्रहित कर लेती है तो फिर इस तरह के रोगों से बचाव की दवायें आम आदमी से दूर हो जायेगा और उसके परिणाम की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉ. अनिल राय ने कहा कि जैव संवर्द्धित खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने से आज लोगों में भयंकर बिमारियों के लक्षण मिलते हैं।

उन्होंने अपने उदाहरण में पंजाब प्रांत के भटिंडा नामक स्थान का उल्लेख करते हुए कहा कि किस तरह से रासायनिक खाद्य और बीज के उपयोग से वहां कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ी है और वहां से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस को कैंसर एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इसलिए हमें जैविक खेती पर ध्यान देना होगा और रासायनिक खाद्य और बीज को त्यागना होगा तब जाकर हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकेगा।

संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय विचार मंडल प्रमुख बंदेशंकर सिंह ने कहा कि यह एक विदेशी षड़यंत्र है जो हमारे देश के लिए अपना आतंक फैलाना चाहती है।

स्वदेशी के कार्यकर्ता इस विषय को लेकर जन जागरण करेंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड़यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। गोष्ठी का विषय प्रदेश राकेश पांडे ने कराया जबकि स्वागत भाषण जिला संयोजक जे.के.एम. राजू, संचालन मंजू ठाकुर और धन्यवाद ज्ञापन अमित कुमार ने किया।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुरलीधर केडिया, डा. पूनम सहाय, राजपति देवी, राजकुमार साव, गुरजीत सिंह, पंकज सिंह, अभिषेक बजाज, गौरव शंकर, सी.पी. सिंह, रामेश्वर प्रसाद, रौशन सिंह, राकेश सिंह, घनश्याम दास, मुकेश कुमार, आशुतोष राय, बिजय सिंह, नवनीत सिंह, रवि कुमार, सुखदेव सिंह, सतनाम सिंह, बाबला सिंह, देवकुमार, आर.सी. पाठक, महेश जी, आनंद मजुमदार, जयंत श्रीवास्तव, इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

प्रस्तुति : राकेश कुमार पांडेय

सुनवाई में व्यापारियों व जनता ने ठुकराई खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की नीति

व्यापारी संगठनों, हाकर यूनियनों, रेहड़ी पटरी वालों, सामाजिक संस्थाओं व नागरिक समूहों ने रखी अपनी राय।
ओपिनियन पोल में 98 फीसदी लोगों ने किया खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का विरोध।

व्यापारियों व जनता की राय का सम्मान करते हुए निगम नहीं देगा विदेशी कंपनियों को लाइसेंस।

महापौर निगम में लाया जायेगा इस आशय का प्रस्ताव।

दिनांक 28 सितम्बर 2012 पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा देश में अपनी तरह के नए प्रयोग के तौर पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के मुद्दे पर जनसुनवाई का आयोजन किया। किसी भी सरकारी संस्था द्वारा इस विषय पर सीधे व्यापारियों व जनता की राय जानने के लिए इस प्रकार की जनसुनवाई पहली बार की गई थी।

जनसुनवाई में दिल्ली के विभिन्न व्यापारी संगठनो के प्रतिनिधियों, हाकर यूनियनों, रेहड़ी पटरी वालों के संगठन से लेकर अनेक सामाजिक संस्थाओं व RWAs के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

पूर्वी दिल्ली की महापौर डॉ. अन्नपूर्णा मिश्रा ने जनसुनवाई की प्रस्तावना रखते हुए कहा – ''जनसुनवाई का उद्देश्य खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के मुद्दे पर जनता की राय जानना तथा इस राय के आधार पर निगम खुदरा व्यापार के मुद्दे पर नगर निगम की नीति निर्धारित करना है।''

जनसुनवाई के दौरान कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों कि राय जानने के लिए एक ओपिनियन पोल भी कराया गया, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक लगभग 98 फीसदी लोगों ने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का विरोध किया।

जनसुनवाई में दिल्ली व्यापारी एसोसिएशन से श्री प्रवीन खंडेलवाल, श्री सतीश गर्ग, व्यापार मंडल के दिल्ली प्रान्त के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश दुबे, स्वदेशी जागरण मंच के डॉ. अश्विनी महाजन, श्री जीतेन्द्र महाजन, दिल्ली हॉकर यूनियन से श्री हकीम सिंह रावत, भारतीय कृषक समाज से श्री किशन बीर चौधरी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विक्रमजीत, आजादपुर मंडी से श्री राजकुमार भाटिया जी, हाकर फेडरशन से श्री आर बी सिंह राजपूत के अलावा सोनिया विहार, सीलमपुर, कृष्णा नगर, मधु विहार, लाल क्वाटर, लाजपत राय मार्केट, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, विकास मार्क, यमुना पार साप्ताहिक मार्केट एसोसिएशन, जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर सहित विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, दिल्ली की सभी RWAs की संस्था ऊर्जा से श्री जीतेन्द्र त्यागी, भारतीय मजदूर संघ से श्री शंकर जी, और एफडीआई इंडिया से श्री धर्मेन्द्र जी ने अपने विचार रखे।

जनसुनवाई के अंत में वरिष्ठ पत्रकार श्री रामबहादुर राय जी ने कहा की आज जो प्रधानमंत्री इस निर्णय के पक्ष में है, उन्होंने स्वयं ही 2002 में इसका विरोध किया था।

जनसुनवाई में विपक्ष के नेता श्री वरयाम कौर ने भी अपनी राय रखी।

जनसुनवाई के उपरांत पूर्वी दिल्ली कि महापौर डॉ. अन्नपूर्णा मिश्रा ने कहा कि अब जबकि व्यापारियों व जनता के विचार स्पष्ट हो चुके है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सदन में एक प्रस्ताव के द्वारा खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्र में किसी भी विदेशी कंपनी को खुदरा व्यापार हेतु लाइसेंस नहीं देगा।

उन्होंने कहा कि जनसुनवाई की रिपोर्ट को दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री को भी भेजा जाएगा।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि आशा है दिल्ली सरकार जनता की आवाज का सम्मान करते हुए खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के मुद्दे पर अपनी राय बदलेगी और दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं देंगी। ❑